असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 फरवरी,2016

षोडश विधान सभा **शनिवार,तिथि 27 फरवरी,2016 ई०**

द्वितीय सत्र **08 फाल्गुन, 1937 (शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न संख्या : 87 (मा०स० श्री विनोद कुमार सिंह)

अध्यक्ष : मा0स0श्री विनोद कुमार सिंह ।

(मा0 स0 अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 88 (मा०स० श्री सत्यदेव सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान सभा के मानिकपुर पंचायत के ग्राम राजेपुर में अवस्थित कब्रिस्तान सर्वे खतियान में खाता संख्या 511 खेसरा नंबर 771 एवं 771/1167 रकबा क्रमश : 1 एकड़ 12 डिसमिल एवं 1 एकड़ 48 डिसमिल है तथा किस्म कब्रिस्तान अंकित है । खेसरा नंबर 771 के पूरब पूर्ण तथा उत्तर एवं दक्षिण आंशिक घेराबंदी है । खेसरा नंबर 771/1167 के पश्चिम जानिब खाता नंबर 510 खेसरा नंबर 771/1168 रकबा 4 एकड़ 80 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक परती करीम है । इस प्लॉट के संबंध में वर्तमान में दोनो समुदायों के बीच विवाद के कारण कब्रिस्तान की घेराबदी अधूरी है ।

खंड : 2 उक्त कब्रिस्तान की ऊपर कंडिका 1 में वर्णित प्लाट में अतिक्रमण नहीं हो रहा है ।

खड : 3 ऊपर की कंडिका 1 एवं 2 से स्थिति स्पष्ट है । विवाद का समाधान कराते हुये कब्रिस्तान की घेराबंदी चलते वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है ।

श्री सत्यदेव सिंह : घेराबंदी कब तक करा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,आपने सुना नहीं । माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करने का निर्देश सरकार की तरफ से जिला पदाधिकारी को दिया जा रहा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, दोनों समुदायों के बीच में थोड़ा प्रोब्लेम है । वह है कि नहीं है, विवाद है । विवाद को सेट्ल करके इस वित्तीय वर्ष में डायरेक्शन दिया गया है कि विवाद को हल करके उसको कंप्लीट करवा दे ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, विवाद था लेकिन उसको हल कर दिया गया है । अब विवाद नहीं है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : तो जल्द हो जायेगा । आप भी सहयोग कीजिये । माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगाा कि वे सहयोग दें तो और जल्दी बात तय हो जायेगी।

श्री सत्येदेव सिंह : सहयोग करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 89 (मा०स०श्री संजय सरावगी)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

(मा0स0 अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 90 (मा०स० डा० सुनील कुमार)</u>

अध्यक्ष : मा0 सदस्य डा0 सुनील कुमार ।

(मा0स0अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 91 (मा०स० डा० शकील अहमद खान)</u>

अध्यक्ष : मा0 सदस्य,डा0 शकील अहमद खान ।

(मा0स0अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 92 (मा०स० विनोद कुमार सिंह)</u>

अध्यक्ष : मा0 सदस्य,श्री विनोद कुमार सिंह ।

(मा0स0अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 93 (मा०स० श्री राम नारायण मंडल)</u>

अध्यक्ष : मा0 सदस्य,श्री राम नारायण मंडल ।

(मा0स0अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 94 (मा०स० श्री राम नारायण मंडल)

अध्यक्ष :मा0 सदस्य,श्री राम नाराायण मंडल ।

(मा0स0अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 95 (मा०स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

अध्यक्ष :मा0 सदस्य, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

(मा0स0अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 96 (मा०स० मो० आफाक आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, स्वीकारात्मक है । पूर्णियां जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के पचायत खूटी, धूनैली, खोखा मोचा, श्रीनगर कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य जिला की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होने के कारण नहीं कराया गया है । ज्ञातव्य हो कि कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर किया जाता है। चयनित सूची में नियमानुसार सम्मिलित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियां एवं पुलिस अधीक्षक,पूर्णियां से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने कराने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मो0आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके, घेराबंदी करा दिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, एक अवधारणा जो यह हो गयी है कि हर कब्रिस्तान की घेराबंदी अनिवार्यता है, बात यह नहीं है । उसकी संवेदनशीलता को देखते हुये, उसकी सूची कलक्टर और एस0पी0, एक कमिटी है कलक्टर की अध्यक्षता में वह कमिटी प्राथमिकता तय करती है कि कहां डिस्प्यूट होने की संभावना है उसके चलते, उसकी सूची के अनुसार ही यह क्रमबद्ध ढंग से होगा । तो चूंकि यह कोई डिस्प्यूट का मामला नहीं है । फिर भी माननीय सदस्य से आग्रह है कि निर्देशित किया जा रहा है कि उसको देखवा लेंगे ।

श्री मो0आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, असल है कि उसके बगल से रोड है । तो रोड बगल से है तो कब्रिस्तान में जानवर घुस जाता है ।

टर्न-1/कृष्ण/27.02.2016

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ने तो आप के आग्रह को स्वीकार किया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 97 (मा०स०श्री मो०आफाक आलम)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, डायरेक्शन दिये जा रहे हैं, देखवा लें इसको और जो प्रक्रिया है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 98 (मा०स०सुश्री पूनम पासावन)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्या सुश्री पूनम पासवान ।

(मा0सदस्या अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 99 (मा०स०श्री मिथिलेश तिवारी)</u>

अध्यक्ष : मा0 सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 100 (मा०स०श्री नारायण प्रसाद)</u>

अध्यक्ष : मा0 सदस्य, श्री नारायण प्रसाद ।

(मा0स0 अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या :101(मा०स०श्री दिनेश चन्द्र यादव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली अनुमंडल में कारा निर्माण के लिये 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर विभाग को स्थांतरित किया गया है । त्रिवेगीगंज अनुमंडल के कारा निर्माण के लिये भूमि

चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । व्यवहार न्यायालय तथा उप कारा की स्थापना समानान्तर प्रक्रिया है । सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी-बख्तियारपुर में संप्रति न्यायालय कार्यरत नहीं है, चूंकि सिमरी-बख्तियारपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है ।

अतः वर्तमान में उप कारा के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है । सहरसा से सिमरी-बख्तियारपुर की दूरी 20 कि0मी0 है । सिमरी-बख्तियारपुर के वाद में बंदियों का पुनर्स्थापन सहरसा स्थित न्यायालय में किया जाता है ।

खंड : 3 उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, सिमरी-बख्तियारपुर को अनुमंडल बने हुये लगभग 22 वर्ष हो गये और इसी तरह से अन्य अनुमंडल जो कोसी प्रमंडल में है, वही स्थिति है । निर्मली में जमीन अधिगृहित हो गया । यह जानकारी माननीय मंत्री जी से मिली । हम यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब अनुमंडल हुआ, वहां अनुमंडलीय न्यायिक न्यायालय स्थापित होना चाहिए । वह इसीलिए नहीं हो रहा है कि वहां जेल की स्थापना नहीं हुई और सिमरी-बख्तियारपुर से काफी दूर सहरसा है । लोगों को वहां जाना पड़ता है । जब सरकार की व्यवस्था है कि जब अनुमंडल होगा तो उसमें कई तरह के कार्यालय होंगे, उसमें से यह भी अनुमंडलीय न्यायिक न्यायालय होगा तो हम यह माननीय मंत्री से जानना चाहते है कि कब तक वहां इस तरह के न्यायालय तो जो दूसरे विभाग से संबंधित है, लेकिन गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वहां कबतक यह प्रक्रिया पूरी होगी और वहां जेल का निर्माण होगा, न्यायालय की स्थापना होगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय,अनुमंडल कार्यालय की स्थापना वहां अभी नहीं हो पायी है। जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। यह जानकारी है निर्देश दिये जायेंगे कि अनुमंडल कार्यालय के साथ उप कारा का भी निर्माण की प्रक्रिया को भी गृह विभाग तेज करे और जब भी उप कारा का निर्माण पूर्ण हो जायेगा तो फिर जो उसके निहित प्रक्रिया है कि विधि विभाग से सम्पर्क कर के हाईकोर्ट से सम्पर्क करना पड़ता है फिर न्यायालय की स्थापना की जायेगी,न्यायालय भवन का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए जब पहले अनुमंडल कार्यालय का हो जोयगा उसके साथ ही कोशिश की जायेगी कि उप कारा का निर्माण हो जाये और कोशिश होगी कि एक ही साथ सभी बिल्डिंग हो जाये, न्यायालय का भी हो जाये तो बात करेंगे देख कर के। माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई जल्दी की जायेगी।

श्री दिनेश चन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी जो जवाब दिये हम उससे संतुष्ट जरूर है लेकिन अब अनुमंडलीय कार्यालय का भवन बनेगा तब न्यायालय होगा तब जेल बनेगा आखिर कितने दिन में बनेगा। 22 वर्ष तो बीत गया तो अब हम माननीय मंत्री को यह जानकारी देना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि सब काम सहरसा में हो रहा है लेकिन वहां सब-जज का जो न्यायालय है सिमरी बख्तियारपुर में वो स्थापित हो गया है और सी0जी0एम0 बगैरह का भी जो कोर्ट होना है उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। वह इसलिए नहीं हो रही है कि हाईकोर्ट भी नहीं इसलिए शायद नहीं करते होंगे कि वहां जेल की स्थापना हुई नहीं जेल बना ही नहीं तो जेल के लिए क्या व्यवस्था करायेंगे, कब तक जेल का निर्माण करा देंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य,आपने इस बात का जिक्र प्रश्न के खंड-2 में भी किया है कि जेल का निर्माण नहीं होने के कारण अनुमंडलीय न्यायिक कार्यालय वहां नहीं बन पाया है लेकिन शायद मेरी जानकारी में पहले न्यायालय की स्थापना होती है क्योंकि अगर न्यायालय नहीं बनता है, कारा गृह बन भी जायेगा तो उसमें कैदी रह नहीं सकते हैं। सामान्य रूप से पहले न्यायिक कार्यालय बनते हैं तब वहां जेल बनता है और न्यायिक कार्यालय बनने का निर्णय जो हाईकोर्ट की स्टैंडिंग कमिटी होती है उसके माध्यम से वो प्राथमिकता भी तय करते हैं इसलिए अच्छा होगा कि पहले आप न्यायिक कार्यालय, न्यायालय की स्थापना पर जोर दें। पहले वह हो जाये तभी कारा बन भी जाता है तो उसकी उपयोगिता होती है क्योंकि बंदी वहां तभी रखे जायेंगे जब वहां पर न्यायालय हो इसलिए पहले न्यायालय बन जाता है फिर कारा स्थापित होता है। अगर पहले बन भी जाता है तो वह हो नहीं पाता है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय,मैंने माननीय सदस्य को कहा कि एक साथ सभी कार्रवाई प्रारम्भ की जाय इसके लिए हम निश्चित तौर पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर निर्देशित करेंगे। अब तो माननीय सदस्य को संतुष्ट हो जाना चाहिए। एक ही साथ अनुमंडल कार्यालय,उप कारा, न्यायिक भवन जो उसका रिक्वायरमेंट है एक साथ प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्षः ये कह रहे हैं साथ -साथ सामानांतर कार्रवाई चलेगी तो अच्छी बात है।

श्री दिनेश चन्द्र यादवः मुझे खुशी है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी तैयार हैं कि सभी को एक साथ करायेंगे तो अनुमंडल के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो गया। उसका टैंडर हो गया, घर कब बनेगा और इस न्यायालय के लिए क्या होगा लेकिन वहां सब जज न्यायालय खुल गया है, भाड़े के मकान में और यह तब जेल से संबंधित जो न्यायालय है वह ही नहीं हो पा रहा है तो खुशी होगी कि एक साथ बैठक कराकर इसका निर्णय करा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 102

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः अध्यक्ष महोदय,उद्योग विभाग को स्थानांतरित किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 103

प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्या- 104

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः 1- वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के गिसहा पंचायत के हरपुरसारी कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु पूर्व के निर्धारित प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है। नये सिरे से प्राथमिकता सूची का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। कब्रिस्तान की घेराबंदी संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए क्रमबद्ध ढंग से कराये जाने की नीति है।

उपर्युक्त कंडिका-1 से स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। महोदय निर्देशित किया जायेगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड के,पटोरी प्रखंड के गिसाहा पंचायत के ग्राम हरपुरसारी में दो कब्रिस्तान जरूरी है। चाहरदिवारी नहीं रहने के कारण माल मवेशी तथा दूसरे जानवर का भी आना जाना लगा रहता है जिसके कारण कब्रिस्तान की घेराबंदी अति आवश्यक है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ महोदय कि जितना जल्द हो कब्रिस्तान का घेराबंदी करवा दें।

टर्न-2/सत्येन्द्र/27-2-16

अध्यक्षः माननीय सदस्या,माननीय मंत्री ने जो प्रश्नाधीन कब्रिस्तान है, आपका बेलसंड प्रखंड के गिसाहा पंचायत के हरपुरसारी में कब्रिस्तान, उसके संबंध में माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो निर्देश देंगे कि उसको प्राथमिकता के आधार पर उसकी घेराबंदी करायी जायगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 105

प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्या- 106

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः 1-स्वीकारात्मक है

2-प्रखंडवार एवं आरक्षण कोटिवार अंतिम मेघा सूची में ग्रामीण एवं शहरी रक्षकों का क्रमशः 153 एवं 11 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए जिसमें से पुलिस सत्यापन, मेडिकल जांच आदि के बाद प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 145 एवं 8 अभ्यर्थी को भेजा गया। शेष शारीरिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का प्रखंडवार बने रोस्टर में रिक्त नहीं रहने के कारण नामांकन नहीं किया गया।

3-उपर्युक्त कंडिका- 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

डॉ0 फराज फातमीः अघ्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जो 67 अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है जिनका सेलेक्शन हो गया, कम से कम उनको जो नियुक्ति पत्र है, एक साल पहले घोषणा हुई उनको कम से कम मिल जाना चाहिए। उनके परिवार परेशान है, उनके जो खुद लड़के हैं वो परेशान है, हर जगह भटक रहे हैं उनको कम से कम नियुक्ति पत्र दे दिया जाय जो तिथि हो बतला देते कम से कम वो मिल जाता इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके तरफ से यह निवेदन करूंगा कि इसकी तिथि जरा हमें बता दी जाय तो मेहरवानी होगी।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय,मैंने कहा कि जितनी रिक्तयां थी According to the reservation पौलिसी जो नियुक्ति करनी थी उसमें आये लोग शारीरिक और अन्य मापदंडों के आधार पर 153 और 8 को लिये गये और बाकी जो 67 है चूंकि रिक्तियां विभिन्न प्रखंडों में नहीं थी इसलिए उनको नहीं नियुक्त नहीं किया है। यह हमने स्पष्ट कर दिया। जब आगे होगी फिर बात फिर उसकी प्रक्रिया अलग से की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 107

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः 1-वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां प्रखंड के एन0एच0-77 पर अहियापुर थाना से सीतामढ़ी जिले के रूनीसैदपुर प्रखंड

तक 35 कि0मी0 की दूरी में गृह विभाग के द्वारा झपहा थाना, मेडिकल कॉलेज थाना एवं रामपुर हरिहर थाना के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में मीनापुर थाना द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। विशनपुर राजस्व गांव रामपुरहरि के अन्तर्गत के आता है इसके अन्तर्गत रामपुरहरि थाना के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

3–भूमि चयनित होते ही निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: अध्यक्ष महोदय,मीनापुर थाना की दूरी एन0एच0–77 से 17 कि0मी0 है जो झपहा और शिवहर रोड में है। रही बात झपहा ओ0पी0 की तो झपहा ओ0पी0 आज पांच साल से ब्लौक्ड है। मेडिकल के लिए एक सेक्शन फोर्स की व्यवस्था किया गया है वह मेडिकल का देखभाल करता है और 35 कि0मी0 में अक्सरहां कोई न कोई ऑकरेंस होता रहता है जबतक मीनापुर पुलिस की एन0एच0–77 तक आती है तबतक जो है अपराधी प्रवृति के लोग हैं कहीं न कहीं भटक जाते हैं

(क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या–107 का पूरक क्रमशः...

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : ...क्रमशः... मेरा आग्रह है माननीय मंत्री महोदय से कि कई बार प्रस्ताव गया है जिला में भी और विशनपुर राजे का जगह भी मैं दिया हूँ, दो एकड़ सरकारी जमीन पहले से उपलब्ध है । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कबतक वहाँ थाना बन जायेगा जिससे कि वहाँ का जनजीवन सुरक्षित रहे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न तो करते हैं, उत्तर सुनने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं ।

तीन थाने का सृजन उस 35 कि0मी0 की दूरी में किया गया है । जमीन चयन की क्रिया तीनों थाने के लिए की जा रही है । ज्योंही जमीन उपलब्ध होगी, अविलम्ब उसमें आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : माननीय मंत्री महोदय, वहाँ जमीन उपलब्ध है विशनपुर राजे में.

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप सहयोग कीजिये, भेजवाइये जमीन का ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस जमीन की चर्चा कर रहे हैं कि सरकारी जमीन उपलब्ध है, उसका डिटेल लेकर, विस्तृत ब्यौरा लेकर माननीय मंत्री जी को उपलब्ध कराइयेगा, ये निदेश देंगे।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : कबतक करा दें ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : आप अगर कल करा दीजिये तो कल हम डायरेक्शन देंगे कि जल्दी से जल्दी इसको किया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या– 108 (मो0 नवाज आलम)

डॉ0 अब्दुल गफूर : महोदय, स्वीकारात्मक है । बीबी जान का हाता आरा वक्फ स्टेट संख्या 123 वक्फ बोर्ड में निबंधित है । उक्त वक्फ स्टेट की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है । संबंधित वाद मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है जिसका स्पेशल लीव अपील नं0 19125/ 2014 है । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला आने के बाद उक्त जमीन की घेराबंदी की कार्रवाई का निर्णय वक्फ बोर्ड द्वारा लिया जा सकेगा ।

मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सदन को बताने का जो काम किया है, बीबीजान का हाता, आरा शहर के तमाम सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोगों का दिल है और भू–माफियाओं के द्वारा पूरी जमीन को कब्जा किया गया है । उस जमीन पर गलत ढंग से घेराबंदी की जा रही है । मा0 उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद वहाँ निर्माण का काम हो रहा है, वहाँ तमाम घेराबंदी हो रही है, तो किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है ? माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं ।

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, सरकार उस वक्फ स्टेट की सम्पत्ति को बचाने के लिए प्रयत्नशील है और इसी वजह से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है । सरकार की चिन्ता से माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य भी अवगत हैं । मैं खुद उनके साथ जाकर उक्त वक्फ स्टेट का स्थल अध्ययन किया हूँ और हमलोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हो जाय ताकि उसकी घेराबंदी हो और जो वाकिफ की मंशा है उसके मुताबिक उसका उपयोग हो सके ।

मो0 नवाज आलम : आपसे हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, सदन को यह बताने का काम करें कि भू-माफियाओं के द्वारा जो उस जमीन को कब्जा किया गया, न्यायालय में आपके द्वारा वहाँ सरकारी वकील उपस्थित नहीं होते हैं, तमाम चीजों में खामियाँ हैं, को-स्टेटस आप कबतक बहाल करायेंगे उन चीजों का ?

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में मामला लम्बित है और माननीय सदस्य का जो यह आरोप है कि सरकारी वकील सही ढंग से नहीं देखते हैं, तो इसको फिर से हम देख लेते हैं, अगर जरूरत हुई तो दूसरे वकील को रखा जायेगा और जल्दी से जल्दी पक्ष में फैसला कराने की कोशिश की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है माननीय मंत्री जी, मामला अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जहाँ भी लम्बित है, अगर इस बीच में कोई अतिक्रमण हो रहा है तो यह पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होनी चाहिये कि अगर लम्बित है, हम फैसला नहीं दे सकते हैं तो अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिये ।

मो0 नवाज आलम : महोदय, वहाँ इस जमीन के रख-रखाव के जो पदाधिकारी हैं, मैं दावे के साथ इस सदन में कह सकता हूँ कि तमाम चीजों में उन लोगों की मिलीभगत से इस तरह का काम हो रहा है ।

अध्यक्ष : नवाज जी, अब आप बैठिये । माननीय मंत्री इतना केवल आप अभी देखवा लीजिये ।

डॉ0 अब्दुल गफूर : उसको देखवा लेते हैं कि निकट भविष्य में अगर कोई कब्जा हो रहा है या होने की संभावना है तब भी उसकी रक्षा की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 109 (श्री प्रमोद कुमार)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य सदन में अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या- 110 (श्री विजय कुमार सिन्हा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य सदन में अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या- 111 (श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी क्षेत्रीय भाषा के सम्मिलित होने के कारण राज्य के लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का न तो संवैधानिक प्रावधान है, न अनिवार्यता ही है । अतः संथाली भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग की भाषा में सम्मिलित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) जनजातीय भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृति आदि के संरक्षण, अनुच्छेद 29 एवं अन्य अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के तहत भारतीय संविधान के 92वॉ संशोधन 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है और इसके बावजूद अभी तक हमारे यहॉ बी0पी0एस0सी0 में संथाली भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है । लगभग 13 साल हो चुका है, झारखंड में भी यह सुविधा है, वहॉ जे0पी0एस0सी0 में यह अंकित है और लोग वहॉ ऐच्छिक विषय रखकर अपना जे0पी0एस0सी0 की तैयारी कर रहे हैं, यू0पी0एस0सी0 भी निकाल रहे हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि हमारे यहॉ बी0पी0एस0सी0 में भी संथाली भाषा को शामिल किया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इसको देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 112(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1- वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत टनकुप्पा थाना मनरेगा भवन में विगत दो वर्षों से कार्यरत है जिसमें कुल चार कमरे हैं, यह भवन पक्का है । यह वर्ष 2014 में थाने के रूप में अधिसूचित हुआ ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत टनकुप्पा थाना भवन निर्माण हेतु 1.28 एकड़ भूमि उपलब्ध है । थाना भवन निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को तकनीकी अनुमोदन/ प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । तकनीकी अनुमोदन/प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 113 (श्रीमती लेशी सिंह)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने श्री आफाक आलम जी को अधिकृत किया है । प्रभारी मंत्री, गृह(विशेष) विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर निर्धारित प्राथमिक सूची में यह शामिल नहीं है । कब्रिस्तानों की घेराबंदी संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए क्रमबद्ध ढंग से कराये जाने की नीतियाँ हैं, लेकिन माननीय सदस्या ने जब यह प्रश्न किया है, हम इसको देखवा लेंगे ।

श्री आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, तीन कब्रिस्तान है वहाँ पर और तीनों कब्रिस्तान की घेराबंदी होना बहुत जरूरी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 114 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परसौनी प्रखंड के हरपुर सारी गाँव में अवस्थित दो कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु पूर्व से निर्धारित प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है ।

महोदय, इसको देखवा लेंगे । सूची में यह है नहीं, लेकिन इसको देखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 108 (मो0 नवाज आलम)

डॉ0 अब्दुल गफूर : महोदय, स्वीकारात्मक है । बीबी जान का हाता आरा वक्फ स्टेट संख्या 123 वक्फ बोर्ड में निबंधित है । उक्त वक्फ स्टेट की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है । संबंधित वाद मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है जिसका स्पेशल लीव अपील नं0 19125/ 2014 है । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला आने के बाद उक्त जमीन की घेराबंदी की कार्रवाई का निर्णय वक्फ बोर्ड द्वारा लिया जा सकेगा ।

मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सदन को बताने का जो काम किया है, बीबीजान का हाता, आरा शहर के तमाम सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोगों का दिल है और भू-माफियाओं के द्वारा पूरी जमीन को कब्जा किया गया है । उस जमीन पर गलत ढंग से घेराबंदी की जा रही है । मा0 उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद वहाँ निर्माण का काम हो रहा है, वहाँ तमाम घेराबंदी हो रही है, तो किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है ? माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं ।

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, सरकार उस वक्फ स्टेट की सम्पत्ति को बचाने के लिए प्रयत्नशील है और इसी वजह से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है । सरकार की चिन्ता से माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य भी अवगत हैं । मैं खुद उनके साथ जाकर उक्त वक्फ स्टेट का स्थल अध्ययन किया हूँ और हमलोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी

सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हो जाय ताकि उसकी घेराबंदी हो और जो वाकिफ की मंशा है उसके मुताबिक उसका उपयोग हो सके ।

मो0 नवाज आलम : आपसे हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, सदन को यह बताने का काम करें कि भू-माफियाओं के द्वारा जो उस जमीन को कब्जा किया गया, न्यायालय में आपके द्वारा वहाँ सरकारी वकील उपस्थित नहीं होते हैं, तमाम चीजों में खामियाँ हैं, को-स्टेटस आप कबतक बहाल करायेंगे उन चीजों का ?

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में मामला लम्बित है और माननीय सदस्य का जो यह आरोप है कि सरकारी वकील सही ढंग से नहीं देखते हैं, तो इसको फिर से हम देख लेते हैं, अगर जरूरत हुई तो दूसरे वकील को रखा जायेगा और जल्दी से जल्दी पक्ष में फैसला कराने की कोशिश की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है माननीय मंत्री जी, मामला अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जहाँ भी लम्बित है, अगर इस बीच में कोई अतिक्रमण हो रहा है तो यह पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होनी चाहिये कि अगर लम्बित है, हम फैसला नहीं दे सकते हैं तो अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिये ।

मो0 नवाज आलम : महोदय, वहाँ इस जमीन के रख-रखाव के जो पदाधिकारी हैं, मैं दावे के साथ इस सदन में कह सकता हूँ कि तमाम चीजों में उन लोगों की मिलीभगत से इस तरह का काम हो रहा है ।

अध्यक्ष : नवाज जी, अब आप बैठिये । माननीय मंत्री इतना केवल आप अभी देखवा लीजिये ।

डॉ0 अब्दुल गफूर : उसको देखवा लेते हैं कि निकट भविष्य में अगर कोई कब्जा हो रहा है या होने की संभावना है तब भी उसकी रक्षा की जायेगी ।

टर्न–4/आजाद/27.02.2016

तारांकित प्रश्न सं0–115 (श्री तारकिशोर प्रसाद,स0वि0स0)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–116 (श्री सैयद अबु दोजाना,स0वि0स0)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत ग्राम–बघाड़ी कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है । इस प्रखंड के ग्राम–आमना कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची के क्रमांक–139 में अंकित है, जिसमें 100 क्रमांक तक कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना ली गई है । कब्रिस्तान की घेराबंदी संवेदनशीलता के आधार पर, लेकिन महोदय 139 में 100 तक ले लिया गया है, अब आगे 39वें नम्बर पर है, इस वित्तीय वर्ष में इसको देखवा लेते हैं ।

श्री सैयद अबु दोजाना : महोदय, इसको कब तक कमप्लीट किया जा सकता है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने तो इतना सकारात्मक कहा कि 39वें नम्बर पर आगे है, फिर भी उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में इसको देखवा लेंगे ।

श्री सैयद अबु दोजाना : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0–117 (श्री मदन मोहन तिवारी,स0वि0स0)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : खंड–1 स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद्,बेतिया वीरेन्द्र कुमार, नगर परिषद् अध्यक्ष प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं हैं ।

वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद्,बेतिया एवं विजय कुमार राव, सहायक नगर परिषद्,बेतिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था । इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त जनक साह, अध्यक्ष, नगर परिषद्,बेतिया दिनांक 24.09.2015 को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं । इनकी काम की भूमिका की जॉच की जा रही है, अन्य अभियुक्त जय कुमार सोनी,निदेशक,नगर परिषद्,बेतिया के विरूद्ध कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है । अनुसंधान एवं प्रतिवेदन–3 के खंड–3 प्राथमिक, अप्राथमिक अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य पाया गया है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जनक साह,अध्यक्ष,नगर परिषद्,बेतिया के संबंध में अनुसंधान जारी है, अन्डरप्रोसेस है, बाकी पर कार्रवाई की गयी है, मामला न्यायालय में है ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, 2013 से मामला लंबित है और सब आरोप साबित हो गया है तो पद पर बने रहने का अध्यक्ष का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य 2013 में नहीं होगा क्योंकि आपने ही कहा है कि बेतिया थाना कांड संख्या-290/14 है, यह तो मामला ही 2014 में दर्ज हुआ है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, जो चेयरमैन हैं, वे नामजद अभियुक्त नहीं हैं, बाकी लोगों पर कार्रवाई की गई । इनका इनभेस्टीगेशन चालू है । इनभेस्टीगेशन में जब एवीडेंस आयेगा, रिपोर्ट आयेगा तभी तो कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-118(श्रीमती गुलजारी देवी,स0वि0स0)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : खंड-क वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत डारह, महपतिया, बसीपट्टी, द्वालख, भरगामा, बकुआ, करहारा कुल

8 पंचायत में आवागमन मोटरसाईकिल एवं रोड की सुविधा है । पक्की सड़क जगह-जगह उपलब्ध है ।

खंड-ख वस्तुस्थिति यह है कि कुल 8 पंचायतों का क्षेत्रफल 9162. 65 हेक्टेयर है, कुल आबादी 76327 है । अपराध नियंत्रित है, फलस्वरूप वर्त्तमान में थाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0-119(श्री मिथिलेश तिवारी,स0वि0स0)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-120(श्री अरूण कुमार सिन्हा,स0वि0स0)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-121(श्री अमित कुमार,स0वि0स0)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : महोदय, उत्तर आंशिक अस्वीकारात्मक है । वर्ष 2014-15 में मात्र जो है 11 करोड़ रू0 बकाया है .....

अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपने कहा कि उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है । जो आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है तो वह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक भी होता है । अच्छा होता कि आप कहते कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्ष 2014-15 में मात्र किसानों का 11 करोड़ रू0 बकाया रह गया है और वर्ष 2015-16 में किसानों को जो भुगतान मिल के द्वारा नहीं किया गया है, उसपर ईख अधिनियम के अन्तर्गत

जिला निलाम पदाधिकारी के यहां से उनको निलाम पत्र दायर किया जा चुका है कि उनसे वसूली करके किसानों को कैसे भुगतान कराया जा सके ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सर कह रहे हैं कि 11 करोड़ रू0 तत्काल पिछले साल का 2014-15 का बाकी है और अभी जो पेराई हुआ है गन्ना का, लगभग 70 करोड़ रू0 बाकी है तो क्या फिर अगले साल इसका भुगतान होगा ? इसका दिशा निर्देश कम से कम दिया जाय ताकि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर न होना पड़े । यानी एक कौप वहां पर गन्ना का है और पिछले साल का अभी तक भुगतान बाकी है और फिर अभी लोग गन्ना दे रहे हैं, अगले बार खेती कैसे करेंगे, यह भी तो दिशा निर्देश देना चाहिए मंत्री महोदय जी को ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : महोदय, प्रबंधक के द्वारा स्पष्ट रिटेन में यह दिया गया है कि 07.03.2016 तक किसानों का जो भी राशि भुगतान करना होगा, मेरे द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा । यदि 07.03 तक भुगतान नहीं करता है तो सरकार के द्वारा, सरकार इसमें तत्पर है कि किसानों का भुगतान शतप्रतिशत हो जाय । 07.03 तक अगर किसानों का भुगतान प्रबंधक द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा नहीं किया जाता है तब निलाम पत्र जो है जिला पदाधिकारी से यह करके उनके सारे जो चीनी है, उसको जप्त करके बिक्री करके सरकार किसानों को अपने स्तर से भुगतान करेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-122(श्री अरूण कुमार,स0वि0स0)</u>

श्री जय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत बिहार पेपर मिल जो बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के अनुसंगी कम्पनी है का निर्माण वर्ष 1976-77 में शुरू हुआ था, जो परियोजना के लिए यथेष्ट राशि के अभाव में उत्पादन नहीं आ सका । निगम के द्वारा इस मिल को निजी निवेशक के माध्यम से भी चालू करने का प्रयास सफल नहीं हो सका । प्रश्नगत मिल की परियोजना लागत रूप में बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया गया था,जिसका भुगतान नहीं होने कारण प्रश्नगत मिल पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने ऋण वसूली हेतु डी0आर0टी0 में मामला दर्ज किया गया । मिल के परिसम्पत्तियों को निलामी से बचाने हेतु बैंक ऑफ इंडिया से ओ0टी0एस0 स्कीम के तहत निर्धारित राशि को 6. 55 करोड़ रू0 का भुगतान बियाडा से प्राप्त कर बैंक का भुगतान किया गया है । अतः उक्त स्थिति में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा मिल की भूमि एवं परिसम्पत्तियों को बियाडा को हस्तांतरण की विधिसम्मत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । उक्त परिस्थिति में मिल को चालू करना संभव नहीं है।

श्री अरूण कुमार : महोदय, यह मिल जो है, कोसी प्रमंडल का मुख्य रोजगार के लिए है । इसको चालू होने से किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा । 100 एकड़ जमीन है, भव्य इमारत है, मशीन लगी हुई है । इसलिए सरकार को जनहित में चाहिए कि इस मिल

को चालू किया जाय । सरकार की भी इच्छा है कि हरेक जगह उद्योग-धंधे लगे और यह स्टेबलिस्ड है । इसलिए मेरा हाऊस से भी और श्रीमान् से भी अनुरोध है कि इस मिल को चालू किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वह मिल अभी चालू होने की हालत में नहीं है। उसपर बैंक ऑफ इंडिया का बकाया था, सरकार ने उसको क्लीयर किया है। अब बी0एस0आइ0डी0सी0 से उसको बियाडा में स्थानान्तरित किया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। तत्काल तो उसको चालू करना उस रूप में संभव नहीं है। उसको माननीय मंत्री ने स्पष्ट बताया है। सरकार बियाडा को दे रही है तब आगे की कार्रवाई करेगी।

प्रश्न सं0-123/श्री रत्नेश सादा

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है।

2- वस्तुस्थिति यह है कि उक्त ओ0पी0 को थाना में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-299/एल-2, दिनांक 03.02.16 द्वारा पुलिस अधीक्षक, सहरसा को निदेशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार के स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। महोदय, इसमें निदेशित किया गया है कि जो प्रस्ताव का फोरमेट था, वह प्रोपर नहीं था। फिर से भेजेंगे तो उसको स्वीकृत किया जायेगा, चूंकि वहां प्रखंड है तो थाना होना अनिवार्य है।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं आपके माध्यम से.....

अध्यक्ष : आपकी बात से तो सरकार सहमत है।

प्रश्न सं0-124/श्री डा0 अशोक कुमार- अनुपस्थित।

प्रश्न सं0-125/श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह- अनुपस्थित।

प्रश्न सं0-126/श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1- स्वीकारात्मक है।

2- स्वीकारात्मक है।

3- अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर किला बुर्ज थाना एन0टी0पी0सी0 के कैंपस में सड़क के आधा कि0मी0 पूरब में अवस्थित है तथा खैरा थाना एवं बड़ेम ओ0पी0 नवीनगर बारूण रोड पर अवस्थित है।

4- वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम बड़ेम से सटे करेका पंचायत का दो गांव उत्तरदाना तथा निसुरपुर उग्रवाद प्रभावित है। इन पंचायतों के सटे पश्चिम सोन नदी है। सोन नदी से सटे रोहतास जिला है। इसके कारण सोन नदी होकर अक्सर उग्रवादी तथा

अपराधी उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अपराध को अंजाम देने के बाद सोन नदी के रास्ते होकर रोहतास जिला में घुस जाते हैं जिस कारण अंतर जिला एवं अंतरजातीय गतिविधि बराबर रहती है। अतः ओ0पी0 खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

टर्न-5/शंभु/27.02.16

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मैं समझ नहीं पाया कि ओ0पी0 खोलने का औचित्य नहीं है, वे क्या बोले।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, जिन इलाकों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया वहां एन0टी0पी0सी0 जो थर्मल पावर बन रहा है, वहां एक थाना अवस्थित है। उसी से उस इलाके को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए अभी फिलहाल वहां कोई नया थाना खोलने का औचित्य नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, थाना का प्रश्न तो किया नहीं गया है। ओ0पी0 को खत्म करने का हमने प्रश्न किया है कि क्या औचित्य है। बगल में 2 कि0मी0 नवीनगर बारूण रोड पर खैरा थाना और उसी बगल में 4 कि0मी0 पर नरारी थाना और दोनों नवीनगर बारूण रोड पर अवस्थित है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा मैंने जिक्र किया कि जिन ग्रामों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया उसके बगल में सोन नदी बहती है तो नार्मली रोहतास इलाके से कुछ अपराधी लोग आते हैं, उसी को नियंत्रित करने के लिए ओ0पी0 खोला गया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, जब एक ही रोड पर है दोनों और 2 कि0मी0 के अंतराल पर थाना है औलरेडी और उसकी दूरी भी सोन नदी से उतनी ही है तो फिर सोन नदी को कंट्रोल करने के लिए, बाहर से उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए वहां ओ0पी0 क्यों खोला जा रहा है। वहां गरीब गुरबा को- सुन लिया जाय माननीय मंत्रीजी, वहां गरीब गुरबा को उस ओ0पी0 के द्वारा सताया जाता है। वह सामंती व्यक्ति के घर में थाना है, ओ0पी0 है और वह सताने का काम करता है। इसलिए उसको तत्काल बंद किया जाय। मैं मांग करता हूँ और ये कहता हूँ कि कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको प्रश्न के रूप में न पूछिए!

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, माननीय सदस्य एम0पी0 भी रहे हैं और कई बार इस सदन के सदस्य भी रहे हैं। इनकी बात को मानना लाजिमी तौर पर है। हम निश्चित तौर पर दिखाकर के माननीय सदस्य के आकांक्षा के अनुरूप अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : धन्यवाद।

श्री इलियास हुसैन : महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर पर हूँ। सरकार ने जवाब देने के क्रम में कहा कि अपराधी औरंगाबाद, डालटेनगंज से रोहतास में घुस जाते हैं तो ये रोहतास को कमजोर समझ रहे हैं क्या ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मुझे पता नहीं था कि इलियास साहब बगल में बैठे हुए हैं, नहीं तो मैं ऐसा कहता भी नहीं।

अध्यक्ष : अगर इलियास साहब को देख लेते तो अपराधियों को किसी दूसरे जिला में घुसा देते क्या?

प्रश्न सं0-127/श्री विजय कुमार खेमका- अनुपस्थित।

प्रश्न सं0-128/श्री संजय सरावगी- अनुपस्थित।

प्रश्न सं0-129/श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह- अनुपस्थित।

प्रश्न सं0-130/श्री अचमित रूषिदेव

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है।

2-वस्तुस्थिति यह है कि रानीगंज प्रखंड में कुल 4 राइस मिल वर्तमान में कार्यरत है। कॉपरेटिव सेक्टर में हसनपुर पैक्स एवं प्राइवेट सेक्टर में संगम राइस मिल, विक्टोरिया, हरि एग्रोटेक, रानीगंज, सीमांचल राइस मिल रानीगंज है।

3- उद्योग विभाग राइस मिल के स्थापनार्थ उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यदि किसी उद्यमी से उक्त पंचायत में राइस मिल के स्थापनार्थ प्रस्ताव प्राप्त होता है तो राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रोत्साहन या अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उसपर गंभीरता से विचार करेगी।

प्रश्न सं0-131/श्री वशिष्ठ सिंह- अनुपस्थित।

प्रश्न सं0-132/श्री नन्द कुमार राय

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के कटैया थाना वर्तमान में किराये के मकान में संचालित है। इसमें 3 कमरे हैं एवं भवन खपड़ैल है। थाना बगल में निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा की जा रही है। डी0पी0आर0 प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई अविलंब की जायेगी।

श्री नन्द कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, कब तक पूरा होगा ? माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : निदेश दिया जायेगा कि इस वित्तीय वर्ष में यह पूरा कर लिया जाय। जमीन की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न सं0–133/डा0 शकील अहमद खान– अनुपस्थित।

प्रश्न सं0–134/श्री विजय कुमार सिन्हा– अनुपस्थित।

प्रश्न सं0–135/श्री समीर कुमार महासेठ

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभान्वितों को 01.04.2016 से सबसिडी स्कॉलरशिप की राशि आर0टी0जी0एस0, ए0इ0एफ0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

2– आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जयनगर के परवा बेलही ग्राम पंचायत के परवा बेलही ग्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जयनगर का ग्राहक सेवा केन्द्र है। किसी प्रकार सेलरा ग्राम पंचायत के सेलरा ग्राम में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कमलाबाड़ी का ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित है।

3– दोनों जगह पर तत्काल ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है।

श्री समीर कुमार महासेठः- महोदय, मेरा प्रश्न सही भी है और माननीय मंत्री जी का जवाब भी सही है लेकिन दूरी जो है वह लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। नैचुरल है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्राहक सेवा हम खुलवा देंगे,तब तो ठीक है भविष्य में बच्चों के लिए अच्छा रहेगा लेकिन कोई न कोई तो सेवा होना चाहिए । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि कोई बैंक खुले, सेवा केन्द्र खुले और आगे इतना बढ़िया-बढ़िया काम हो रहा है, तो उसमें माननीय मंत्री जी हमें मदद भी करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-136 (मा0 सदस्य श्री नारायण प्रसाद)

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्याः-137 (मा0 सदस्य श्री मेवा लाल चौधरी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः- महोदय,उत्तर स्वीकारात्मक है। वित्तीय सेवाएँ विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-21/13/2009 दिनांक 4.4.2012 द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी की 40वीं बैठक दिनांक 16.5.2012 में पॉच हजार की आबादी पर बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015-16 में विभिन्न बैंकों की 527 शाखा खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके विरुद्व मात्र 302 बैंकों की शाखाएँ खोले जाने की सूचना प्राप्त हुई हैं। संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 10 हजार और उससे उपर की जनसंख्या वाले ग्रामों को पहले लक्षित किया गया है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त सूचना के अनुसार झुनझुनिया ग्राम के दो किलोमीटर की दूरी पर बिहार ग्रामीण बैंक का जमुआ शाखा कार्यरत है।

श्री मेवा लाल चौधरीः- महोदय, झुनझुनिया गॉव एक बड़ा ही कॉमर्शियल गॉव है,इसके चारों ओर एक ग्रामीण बैंक है जो पूरा बिजनेस फीड नहीं कर पाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक और बैंक की शाखा वहॉ पर खोल दी जाय तो शायद जो वहॉ पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है और इसके कारण इतने ज्यादा कंज्यूमर्स हैं कि बैंक खाता नहीं खोल पा रही हैं, यह मुसीबत है वहॉ पर ।

श्री अब्दुल बारी सिद्विकीः- महोदय, बैंक पर सीधे नियंत्रण राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार और बैंक का जो एक अनुश्रवण के लिए एक कमिटी बनी हुई है एस0एल0बी0सी0,स्टेट लेवेल बैंकर्स कमिटी है और एस0एल0बी0सी0 में

निर्णय लिया गया कि 527 शाखाएँ खोली जायगी, जिसके विरुद्व मात्र अभी 302 बैंकों की शाखा खोले जाने की सूचना प्राप्त है और एस0एल0बी0सी0 की भी जो बैठक हुई थी,उस बैठक में भी लोगों ने यह मामला उठाया था। अभी उन्होंने लक्षित रखा है 10 हजार की आबादी से अधिक पर शाखा खोलने का, तो इस मामले को हम दिखवायेंगे, एस0एल0बी0सी0 की मीटिंग में इसे हम उपस्थापित करेंगे।

श्री मेवा लाल चौधरी:- अघ्यक्ष महोदय, जेनरली वे छोट-छोटे ट्रान्जेक्शन कर पाते हैं लेकिन जहॉ बड़े-बड़े प्रोडक्शन के ट्रांजेक्शन की बात होती है तो ग्रामीण बैंक या तो वह संग्रामपुर को भेज देता है, जो करीब 10 किलोमीटर है और जितने भी व्यवसायी हैं वे जाने में हेजिटेट करते हैं, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि इसपर विचार कर लिया जाय।

तारांकित प्रश्न संख्या-138 (मा0 सदस्य श्री मेवा लाल चौधरी)

श्री अब्दुल बारी सिद्विकी:- महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-09 दिनांक 18.2.2016 द्वारा सूचना दिया गया है कि टेटिया बम्पर ग्राम में एस0बी0आई0 की कोई शाखा नहीं है बल्कि दो ग्राहक सेवा केन्द्र एक तो टेटिया बम्पर और दूसरा दरियापुर में कार्यरत है।

श्री मेवा लाल चौधरी:- अघ्यक्ष महोदय, टेटिया बम्पर प्रखंड है, जिसमें तकरीबन 78 हजार से ज्यादा जनसंख्या है, कलेक्शन सेंटर से जो पर्पस है, वह सौल्व नहीं हो पाता है, एक बैंक है पूरे प्रखंड में, अगर एक और स्टेट बैंक की शाखा खुल जाय तो वहॉ की आम जनता को बहुत ही सुविधा होगी।

अघ्यक्ष:- माननीय सदस्य प्रक्रिया तो चालू है, जब वहॉ पर ग्राहक सेवा केन्द्र बैंक ने खोला है, तो स्वाभाविक रुप से वहॉ पर आवश्यकता महसूस हुई होगी।

श्री श्रवण कुमार:- अघ्यक्ष महोदय, आज किसतरह से पीसफूल सभी प्रश्नों का जवाब आ रहा है और मैं समझता हूँ कि लगभग सभी प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी तैयार करके लाये हैं और सभी प्रश्न उत्तरित भी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे विपक्ष के नेता है महोदय और उनके जो एलाई पार्टी है महोदय, जिस प्रकार से कार्य मंत्रणा की बैठक की रिर्पोट को, कार्य मंत्रणा के निर्णय को झूठलाने की कोशिश करते है, यह स्वच्छ लोकतंत्र की परम्परा नहीं है महोदय, जिनको संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है वही दल और वही नेता इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, सदन का बहिष्कार कर सकते हैं और यह संसदीय लोकतंत्र में काला इतिहास लिखा जायेगा तो

विपक्ष के लोग अपनी भूमिका अदा करने में विफल रहे हैं, अगर उनके पास कोई मुद्दें होते तो वे उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते, सरकार से जवाब तलब करते लेकिन इनके पास तो कोई मुद्दें नहीं है, बगैर मुद्दें को लेकर सदन को बाधित करते हैं और मेम्बरों का खास करके जो प्रश्नकाल है, घ्यानाकर्षण हैं, शून्यकाल हैं, उसको बाधित करके राज्य के ज्वलंत सवालों पर जिसपर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको बाधित कर समय को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इसतरह से संसदीय लोकतंत्र नहीं चल सकता है और ये बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सदन को नहीं चलाना चाहते हैं, ये तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं, आज बिहार की जनता इन्हें देख रही है कि सदन ये चलाना नहीं चाहते हैं और आज जनता यह भी देख रही है कि किस तरह से प्रश्नों का जवाब सरकार दे रही है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-139 (मा0 सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या:-140 (मा0 सदस्य श्री अमित कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- महोदय, खण्ड 1:- वस्तुस्थिति यह है कि मेजरगंज थाना एवं बैरगनिया दो अलग-अलग थाना है। सुप्पी ओ0पी0 कार्यरत है, इसे मेजरगंज एवं बैरगनिया का भाग सम्मिलित है!

खण्ड 2:- वस्तुस्थिति यह है कि सुप्पी ओ0पी0 कार्यरत है! ओ0पी0 क्षेत्र के लोगों को संबंधित पैतृक थाना के अन्तर्गत कार्य के लिए जाना पड़ता है।

खण्ड 3:- वस्तुस्थिति यह है कि सुप्पी प्रखंड में सम्मिलित पंचायत बड़हड़वा, मनिहारी, बभनगमा, रामनगरा, रक्सौल, हरपुर, पिपरा, धरवारा, कोठियारा , मोहनिमंडल,गरहा एवं खातापूर पूर्वी के लिए सुप्पी थाना की अधिसूचना दिनांक 3231 दिनांक 11.4.14 के द्वारा निर्गत किया गया है। वर्तमान में यह ओ0पी0 के रुप में कार्यरत है। शीघ्र ही यह पूर्ण थाना के रुप में कार्य करेगा।

श्री अमित कुमार:- सर, दिशा-निदेश तो है लेकिन कब तक होगा यह भी कह देते तो अच्छा होता क्योंकि वह सबसे ज्यादा माओवादी ग्रसित एरिया है और रात में वहॉ ओ0पी0 में कोई नहीं रहते हैं, सबसे ज्यादा कांड भी वहीं होता है, हर दम कुछ न कुछ हादसा वही होता है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- नोटिफिकेशन निकल गया है, जल्द ही अपेक्षित कार्रवाई कर दी जायगी।

टर्न : 07 कृष्ण/27.02.2016

तारांकित प्रश्न संख्या : 141 (मा0स0श्रीमती रंजू गीता)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती (डा0) रंजू गीता । आपके प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है । आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्रीमती (डा0) रंजू गीता : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार के 7 निश्चय को जन-जन तक प्रचार-प्रसार करने हेतु क्या इस वित्तीय वर्ष में प्रखंड स्तर पर आई0टी0 यूनिट खोलने का विचार रखती है ? अगर सरकार विचार रखती है तो सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड में आई0टी0यूनिट कबतक खोलना चाहती है ?

श्री जय कुमार सिंह : महोदय,अभी तक सरकार का नया आई0टी0यूनिट खोलीने का विचार नहीं है । भविष्य में अगर सरकार विचार करती है तो यहां पर भी सरकार यूनिट खोलने का विचार करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 142 (मा0स0डा0विनोद प्रसाद यादव)

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी नगर पंचायत के शेखपूरा में तारा शहीद कब्रिस्तान अवस्थित है । इस पंचायत के लोदी शहीद में गैर मजरूआ जागीदार जमीन का कुंछ अ श मंसुरी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग हो रहा हौ । खंड 2 : तारा शहीद कब्रिस्तान अतिक्रमण संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं है । लोदी शहीद में गैर मजरूआ जमीन की कुछ अंश में मेंसुरी कब्रिस्तान के रूप में तथा कुछ भाग में पूर्व से कुछ परिवार बसे हुये हैं । तारा शहीद कब्रिस्तान घेरेाबंदी हेतु शेरघाटी प्रखंड के लिये निर्मित प्राथमिक सूची के क्रमांक 12 पर अवस्थित है । वर्तमान में क्रमांक 6 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य किया जा रहा है तथा मंसुरी कब्रिस्तान का का नाम सूची में नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी संवेदनशीलता के आधाार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुये क्रमबद्ध ढंग से कराये जाने की नीति है । महोदय, कम्रमांक 6 तक कराया जा रहा है, इनका क्रमांक 12 है, इस वित्तीय वर्ष में इसको टेक अप कर लिया जायेगा ।

डा0विनोद प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम केवल यही चाहते हैं कि वह शहरी क्षेत्र में है ओर शहर की जमीन बहुत कीमती होती है । इसके चलते मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इसको इसी वित्तीय वर्ष में करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री बता तो दिये कि इस वित्तीय वर्ष में डायरेक्शन देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 143 (मा0स0श्री सत्यदेव सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : खंड 1 : वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिलान्तर्गत कुर्था वि0स0के बंशी थाना सामुदायिक भवन में कार्यरत है । इसमें एक कमरा, एक हॉल एवं एक बरामदा है ।

खंड 2 : वस्तुस्थिति यह है कि थाना भवन निर्माण हेतु डी0पी0आर0 एवं विस्तृत प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग को दिया गया है । डी0पी0आर0 एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् थाना भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

....

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार है, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

ध्यानाकर्षण-सूचना

सर्वश्री मेवा लाल चौधरी,सुनील कुमार एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (गृह(कारा)विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मेवा लाल चौधरी :अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत अनुमंडल कार्यालय, तारापुर में व्यवहार न्यायालय से संबंधित सभी संरचनाओं का निर्माण पूरा कर लिया गया है, परन्तु उप मंडल कारा का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है ।

अत: उप मंडल कारा का निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्र0यादव : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 25.06.2015 को बिहार की अध्यक्षता में नवसृजित जिलों, अनुमंडलों के कारा निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक में नवसृजित जिलों, अनुमंडलों में न्याय मंडलों की स्थापना को दृष्टि पथ में रखते हुये काराओं के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण एवं कारा की स्थापना हेतु राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। वर्तमान में तारापुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय का निर्माण नहीं हुआ है। व्यवहार न्यायालय के निर्माण के पश्चात्! कारा का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय,तारापुर व्यवहार न्यायालय का जोा भी भवन बनना था, वह बन चुका है । सिर्फ जो मंडल कारा नहीं बना है, मेरा निवेदन है कि जबतक मंडल कारा नहीं बन पाता है कम से कम सिविल केसेज को शुरू करके जो भवन बना हुआ है उसका प्रोपर यूज हो जाय अन्यथा उसका भी डिप्रीसियेशन हो जायेगा ।

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव : ठीक है,हम दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि दिखवा ले ंगे ।

सर्वश्री विजय कुमार खेमका,प्रकाश राय एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, श्री प्रकाश राय, श्री निरंजन राम एवं श्री मिथिलेश तिवारी ।

(माननीय सदस्यगण अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद कल दिनांक 26 फरवरी 2016 से जारी है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद जो कल प्रारम्भ हुआ था वह आज भी रहेगा। अब माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी से अनुरोध है कि वे अपना भाषण प्रारम्भ करें।

(माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय,मैं आसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूॅ। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए आपने मेरा नाम पुकारा है मैं अनुगृहित हूॅ आपसे। अध्यक्ष महोदय,2015 में विधान-सभा का चुनाव हुआ और चुनाव राज्य में दो धाराओं में विभक्त था। एक तो महागठबंधन था और एन0डी0ए0 के लोग। महागठबंधन समाजवादी विचारधारा के प्रवर्त्तक लोहिया कपूर्री ठाकुर के अनुयायी नीतीश कुमार जी,लालू प्रसादयादव जी और तीसरा कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी,सोनिया गांधी की सोच और चर्चा का उपज था महागठबंधन दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी हुकूमत केन्द्र में शासित हो गयी जनादेश उनके पक्ष में था और वो जनादेश के अनुरूप प्रधानमंत्री बन गये। प्रधानमंत्री मोदी जी की और पूरे भारतीय जनता पार्टी का अपने साम्राज्य का फैलाव करने के नियत लेकर के भारतवर्ष में राजनीति प्रारम्भ की। उनका मंसूबा दिल्ली में सबसे पहले फेल हुआ। बिहार में चुनाव था भारतवर्ष के किसी राज्यों में बिहार के अलावे कहीं चुनाव नहीं था। प्रश्न यह था कि उनके मंसूबे को रोका कैसे जाय और किस प्रकार जिस प्रकार नियत से देश में भारतीय लोकतंत्र में महोदय अब तो कहना बाकी नहीं रह गया कि कौन सी पार्टियां कौन से लोग सत्ता में नहीं आये। भारत में सबको अवसर मिला लेकिन कुछ लोग कुछ पार्टियां देकर के कुछ देश को गयी और कुछ लोग ऐसे मंसूबे पाल रखे हैं जो मूल्क की धारा को भारतीय संस्कृति को भारत की राजनीतिक विरासत को तोड़ने का मंसूबा पाल रखे थे। बिहार के चुनाव में वो घ्वस्त हुआ घ्वस्त इसलिए हुआ महोदय कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी और सोनिया गांधी और राहूल गांधी के विचार छिपे हुए थे और इसको परख करना कठिन था जनादेश का वेग बतला रहा था पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं लोग थिंक टैंक भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के

नेता भी अपने आपको महोदय थिंक टैंक मानते हैं जनादेश के वेग को कैसे नहीं समझ पा रहे थे ऐसे ख्याली पुलाव और भारतीय जनता पार्टी को आदत है महोदय रात में सपने देखकर रसगुल्ले खाने की आदत है और येआम तहतक पूरा उनका साम्राज्य पटना में दाखिल था सारे होटल भरे पड़े थे उनके अध्यक्ष भाजपा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री का इतना प्रोग्राम ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: रात में सपना देखते हैं तो क्या रात में है खाने का या सुबह में है खाने का?

श्री विजय शंकर दूबे: तो महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि ये रात में ही खाता है लोग तो ये बिहार में उनके सारे मंसूबे ध्वस्त हुए लेकिन अंतिम दिन तक जिस दिन महोदय चुनाव था छपरा का महागठबंधन में सीटें उपलब्ध नहीं हुई सीवान में मुझे छपरा लड़ने का अवसर दिया महागठबंधन ने मैं छपरा में लड़ रहा था 10 बजे चुनाव बूथ के लिए निकल गया था तो भारत जनता पार्टी के बड़े नेता ने मैं नाम लेना नहीं चाहता मेरे मोबाईल पर फोन आया कि फलां व्यक्ति बात करेंगे हमने कहा दिया जाय तो उन्होंने कहा दूबे जी यह बतायें दल से हटकर के कि आप कहां हैं मैंने कहा मैं तो अपने मतदान केन्द्रों पर घूम रहा हूँ तो कहा कि महिलाओं का कतार यह लगा हुआ है बूथों पर यह मत कहां जा रहे हैं मैंने कहा कि आप तो साम्राज्य के आपका साम्राज्य चल रहा है पूरा सी0बी0आई0,आई0बी0 सब लोग लगे हुए हैं आपको तो पता होना चाहिए उन्होंने कहा कि आप राजनैतिक नेता की हैसियत से बताईए इसकी इंर्फोमेंशन तो मेरे पास है कि मैं जीत रहा हूँ और महिलाओं का मत मेरे पक्ष में जा रहा हैतो मैंने कहा कि महोदय बुरा मत मानियेगा आपको जाने में समय नहीं लगेगा ये महिलाओं काकतार नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान कर रही है कहीं जा नहीं रही है बिना बोले महिलाओं का कतार महागठबंधन के पक्ष में और मीडिया वाले उसी वक्त पहुंचगये महिलायें लौट रही थी महिलाओं से पूछा वोट किसको दिया महिलाएं बोली कि जिसका खाते हैं उसको वोट दिया तो उन्होंने इस प्रश्न को पूछा मीडिया को तो कहा है जिसका खाते हैं उसमें तो मैं भी शामिल हूँ भारत सरकार में हूँ तो हमने कहा कि दूसरा जवाब आपने मीडिया वालों को जो महिलाओं ने दिया उसको सुना नहीं महोदय,उन्होंने कहा कि मैं बिहार में खाती हूं दिल्ली वाले को नहीं जानती नीतीश कुमार को जानती हूँ इसलिए वोट मेरा नीतीश को जायेगा। कहा, यहां तो नीतीश कुमार का फिल्ड नहीं है महिलाएं हंसकर के उत्तर दी थी कि मुझे पता है कि गठबंधन है और यहां हाथ में वोट डालेंगे तो वो नीतीश कुमार को जायेगा ये जनादेश का वेग था महोदय इसको भाजपा के लोग समझ नहीं पायें आखिर कहां ले जाना चाहते हैं आपने विधान-सभा में संवाद कराया गया पहले दिन देखने को लगा कि भाजपा में भी सुधार है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त मौन धारण किये हुए थे और राज्यपाल के अभिभाषण

के दूसरे दिन 81 संशोधन देकर के सदन को चलने से रोकना किस प्रकार के भाजपा शासानका ऐसे अधिकार नहीं है। सदन में सरकार आती है महोदय यह बजट सत्र है (क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/27.02.16

श्री विजय शंकर दूबे : ...क्रमशः... सरकार आती है सदन से इजाजत लेने के लिए, सदन में अपना बजट पास कराने के लिए जनता के हितों का, जनता के साथ कमीटमेंट जो सरकार का है। महोदय, आज नीतीश कुमार और महागठबंधन को मैनडेट है, महागठबंधन को जनादेश है । इनके साथ जो जनादेश है उस जनादेश के वक्त में जो कमीटमेंट था, उसके अनुपालन के लिए सरकार आयी हुई है सदन में और उसका प्रतिरोध करना जनता का प्रतिरोध है, दलों का प्रतिरोध नहीं माना जायेगा । भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना बेन्च सूना करके चर्चा में शिरकत नहीं की । महोदय, आपने प्रतिपादित किया कि लोकतंत्र की आत्मा, प्रजातंत्र की आत्मा विधायिका में है और विधायिका की आत्मा चर्चा में है और वे चर्चा को अनसुना करके कौन सी दिशा देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व कौन-सी दिशा देना चाहते हैं ? सदन सोमवार को होना था, उसको सरकारी पार्टी ने आपकी अध्यक्षता में बनी कमिटी से पारित कराकर शनिवार कर दिया । कौन-सा गलत हो गया ? यह अधिकार है सरकार के पास, ऐसे अधिकार हैं जिनको बहुमत प्राप्त है । उनको इसका अनुपालन करना चाहिये था ।

अध्यक्ष : श्री विजय शंकर दूबे जी, अब आपको दो-तीन मिनट में समाप्त करना है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मेरे दल का समय है ।

अध्यक्ष : दल के ही समय के हिसाब से कह रहे हैं ।

श्री विजय शंकर दूबे : मेरा समय आज तो 12 मिनट है न !

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपके दल का समय 27 मिनट था, जिसमें से 15 मिनट रामदेव बाबू ले चुके हैं । आपको दो-तीन मिनट हम बढ़ा कर ही दे रहे हैं ।

श्री विजय शंकर दूबे : आपके आदेश का मैं ध्यान रखूंगा । महोदय, जो बजट लाया गया है, आज बिहार इस स्थिति में पहुंच गया है, आप भी सदन के पुराने सदस्य रहे हैं और मैं भी पहले पुराना सदस्य रहा हूँ । बिहार में पैसे का अभाव था लेकिन आज 1 लाख 44 हजार करोड़ का बजट राज्य में प्लान और नन प्लान का मिलाकर और दूसरा खूबी इस

बजट का है कि योजना और गैर योजना के आकार में जो गैप हुआ करता था उसको पाटने का नीतीश कुमार की हुकूमत ने प्रयास किया है और पाटा है । ऐसा बजट महोदय, पहले नहीं हुआ करता था । इस अवसर पर हमें कांग्रेस, मनमोहन सिंह और उदारीकरण के जनक नरसिंह राव याद पड़ते हैं कि मुल्क में पैसे की कमी नहीं है । मुल्क में पैसे का फ्लो आया है, बिहार भी उससे वंचित नहीं है नीतीश कुमार जी के मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं । भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, आज भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीक से हट रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, पैसा सरप्लस बचा था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार से पूछा कि 4000 करोड़ रूपया एक्सेस बचा हुआ है, आप खर्च कर लोगे ? नीतीश कुमार ने कहा- सर, आपका आदेश हो जाय, पैसा मिल जायेगा तो मैं खर्च कर लूंगा और खर्च करके दिखाया । यह भारतीय जनता पार्टी जानती है नीतीश के वर्किंग शैली को । आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की हुकूमत आ गयी है । महोदय, कोई सूक्ष्म द्रष्टा अगली कतार को देखकर कहेगा कि सरकार कैसी है, सरकार का चेहरा कैसा है और सरकार चाहती क्या है । इसलिये सरकार की नियत में, कार्यशैली में और बिहार को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, मीडिया वालों ने छाप दिया कि 7 निश्चय ही बजट है । कौन'-सा गुनाह हुआ ? यह 7 निश्चय तो आज का नहीं है, यह तो प्री-पोल एलायंस, पहले तय था कि 7 निश्चय पर सरकार काम करेगी, आज तय नहीं हुआ है, सरकार बनने के पहले महागठबंधन बना, उस वक्त तय हुआ था और तीनों पार्टी की सहमति है और उस सहमति से राज्य का विकास हम करना चाहते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, आपकी बत्ती जल गई, आपका आदेश मानना मैं समझता हूँ कि उचित है इसलिये मैं एक सुझाव और देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ ।

महोदय, राज्य में टैक्सेशन की जरूरत होती है । टैक्स सरकार लगाये लेकिन चारवाक ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया टैक्स लगाने का, उस सिद्धांत के आधार पर नीतीश की हुकूमत टैक्स लगाये । टैक्स लेने के लिए सरकार ऐसे रास्ते न अपनाये जिससे जनता बोझिल हो । मैनडेट लेकर आये हैं, मैनडेट का ध्यान भी रखना चाहिये, मैनडेट देने वालों का भी ध्यान रखना चाहिये । इसलिये मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि चारवाक ने कहा था कि जिस तरह से गुलाब के फूल से पराग लेकर मधुमक्खी उड़ जाती है, मधुमक्खी भी मस्त, पराग भी मस्त, गुलाब भी मस्त । जनता से टैक्स लेना चाहिये लेकिन टैक्स लेने के लिए बोझिल जनता को नहीं करना चाहिये । कुछ ऐसा लग रहा है, सरकार इसपर विचार करेगी, विद्वान बिजली मंत्री भी बैठे हुये हैं, सबमें इनकी राय रहती होगी, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, आपका टैक्स घट रहा है, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ । ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का टैक्स घट रहा है । ट्रांसपोर्ट के नाम पर

चेकिंग मोटर साइकिल की हो रही है । दूल्हा मोटर साइकिल से जा रहा था, उसको रोक दिया कि दूल्हा का हेलमेट नहीं है । दूल्हा तो हेलमेट नहीं लगायेगा । दूल्हा तो सारे बिहार में हमारे यहाँ उस दिन मौड़ी लगाता है, मौड़ी लगाने की वजह से दूल्हा को रोक दिया । पुलिस वाले कहते हैं कि भईया, आज तो मेरे को 50 गाड़ी पकड़ कर देनी है और एक मोटर साइकिल पर तीन हजार फाईन लिया गया । कहा कि टैक्स का पैसा सरकार का घट रहा है । सरकार अलोकप्रिय होगी, ऐसा काम न हो और चेकिंग के नाम पर दोहन बंद हो, यह मैं सुझाव देना चाहता हूँ ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

अध्यक्ष : अभी श्री प्रह्लाद यादव जी के आगे जो भी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, 6-7 लोगों को बोलना है । समय उपलब्ध है मेरे पास लगभग 42-43 मिनट । 6-7 मिनट के आसपास सबलोग बोल पायेंगे और मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य आसन के साथ इस मायने में सहयोग जरूर करेंगे क्योंकि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलवाने का काम भी आसन को करना पड़ता है । इसलिये श्री प्रह्लाद जी और आगे बोलने वाले सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि 6-7 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ । महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर गर्व है । गर्व इस बात के लिए कि माननीय महोदय ने जो सरकार की उपलब्धि है, जो सरकार का कार्यक्रम है, उसको सही ढंग से इस हाऊस में रखने का काम किया है और हम समझते हैं कि जिस चीज को महामहिम ने रखने का काम किया है, यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । महामहिम राज्यपाल महोदय इसके लिए प्रशंसनीय हैं।

महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब हमलोग विधान सभा के चुनाव में थे उस समय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, विधान सभा का चुनाव चल रहा था, आये थे और बराबर आने का काम किये थे । ....क्रमशः...

श्री प्रहलाद यादव : (क्रमशः) और माननीय एक देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरह हमारे प्रिय नेता, सम्मानित नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया था, लोकतंत्र के लिए वह शर्म की बात है । ऐसी बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी । महोदय, इतना ही नहीं बिहार में आने के बाद जब भाषण होता था माननीय प्रधानमंत्री जी का , उस समय बोली लगायी गयी थी बिहार की और बोली लगायी गयी थी 50 करोड़, 70 करोड़ नहीं, नहीं सवा लाख करोड़, जिस तरह से लोकतंत्र में किया गया, वह नही होना चाहिए । महोदय, यह दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए उस तरह की बात उनको बोलना शोभनीय नहीं देता है । इसका परिणाम क्या हुआ महोदय, उसका परिणाम यही हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी हैं । 11 करोड़ बिहार की जनता ने इस बात को गंभीरता से लिया और जब मतदान का समय आया और महोदय बिहार की जनता ने इस अपमान का किस तरह से जवाब दिया, जो आपके सामने है, आप लोगों के सामने है और भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन गई । लोग इस तरह से अफवाह कर रहा थे तो लगता था कि अब यहां महागठबंधन कुछ है ही नहीं, यह स्थिति बना दिया गया था । कल प्रतिपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी बोल रहे थे और वे विधि–व्यवस्था पर चैलेज कर रहे थे, उनका आदत हो गया है या क्या हो गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं । एन0डी0ए0 के लोगों को यह आदत हो गया है कि बिहार की धरती से लगता है कि प्रेम ही नहीं है । लगता है कि ये लोग बिहार के बाहर के लोग हो गये हैं, यह स्थिति बना दिये हैं । वे कहते हैं कि हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, क्या–क्या बकते जा रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विधि–व्यवस्था को इस तरह से व्यवस्थित किये हैं कि बिहार की विधि–व्यवस्था अन्य राज्यों से कहीं अच्छा है, यह स्थिति है महोदय ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय, श्री अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, वे बिहार की विधि–व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर घटना होती है बिहार में तो त्वरित कार्रवाई होती है और त्वरित कार्रवाई का रिजल्ट भी आता है । बड़े से बड़े अपराधी बिहार में आज जेल के

सलाखे में गये और कानून सम्मत कार्रवाई हो करके आज जेल के अन्दर है । ये कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होता है, 24 घंटा महिलाओं के सुरक्षा के लिए हेल्प लाईन उपलब्ध है । बिहार में विधि-व्यवस्था को ठोस करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की गई है, इतना ही नहीं आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, निर्देश में महानिदेशक,पुलिस से लेकर थाना तक डेली मोनेटेरिंग होता है और मोनेटेरिंग हो करके किस थाना में क्या व्यवस्था है, किस थाना का क्या स्थिति है, सारा जानकारी ले करके उसका अनुपालन किया जा रहा है । आप बगल में झारखंड में जाकर देखिए, आप जाकर महाराष्ट्र में देखिए, आप जाकर दिल्ली में देखिए, कन्हैया जो जे0एन0यू0 का अध्यक्ष था, जब पुलिस कस्टडी में वो कोर्ट जा रहा था और उसको खींच कर आप पिटाई करते हैं और आप यहां पर बिहार को बदनाम करते हैं । एक मैनिया की बीमारी होती है, नहीं भी बीमारी होती है, उसको भी बीमारी हो जाती है और उसको हमेशा वही दिमाग में होता है । इसी तरह से प्रतिपक्ष के लोगों को एक मैनिया का बीमारी हो गया है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार में जंगल राज हो गया है, यह मैनिया का बीमारी हो गया है । अगर आपके पास बहुत पोपुलरीटी था, बहुत आप अच्छे थे.....

सभापति(श्री अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रहलाद यादव : मेरा समय हो गया । ठीक है महोदय, निश्चित रूप से जो अपार समर्थन मिला है और महागठबंधन की सरकारी बनी है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनमें आस्था 11 करोड़ लोगों ने जताया है और वही 11 करोड़ लोगों का आस्था और आकांक्षा, उनके सुख और शांति के लिए 7 जो उनका निश्चय है, उसको इन्होंने लागू करने का काम किया है तो निश्चित रूप से हमको समय ही बहुत कम मिला, इसलिए हमलोग तो ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं । निश्चित रूप से बिहार की गरिमा, बिहार का विकास, बिहार की शांति के लिए महागठबंधन की सरकार उसका नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार आगे बढ़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । जयहिन्द ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है, उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि बिहार की जो तस्वीर बनी है, बिहार आज जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसको हु-बहु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में रखने का काम किया है । महोदय, बिहार की जो प्रगति है, बिहार जिस तेजी से देश और दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है । महोदय, आज माननीय नीतीश कुमार

जी के नेतृत्व में जो सरकार जिन 7 सूत्री कार्यक्रमों को ले करके आगे बढ़ रही है, ये 7 सूत्र जा रहे हैं उन लोगों के बीच, जो हमेशा अधिकार से वंचित थे, जिनको सहारा नहीं मिल रहा था । गांवों में गलियों में विकास की रोशनी इस 7 सूत्रों के जरिए पहुँचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है । महोदय, जब मैं चुनाव के समय गांवों में घुमता था तो गांवों के गलियों में कहीं चलने का रास्ता नहीं है ठीक से, उसको बनाने का संकल्प राज्यपाल के अभिभाषण में मिला है । जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, वे गांवों से बाहर, गांवों से अलग उनको टोला बसा हुआ है । उन टोलों में जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेना पड़ता है । पगडंडियों पर चल करके पिछड़े, गरीब, आदिवासी और तमाम जो हरिजन भाई है हमारे, अनुसूचित जाति के जो भाई हैं, उनके टोले में जाने की मजबूरी है और गांव–गांव में जब हम वोट मांगने गये थे तो लोगों ने कहा था कि रास्ता बना दीजिए । रास्ता बनाने की मांग उस समय सबसे बड़ी मांग थी । महोदय, एक समय था जब नारा लगता था – रोटी, कपड़ा और मकान । पिछली सरकारें जो आयी है 1990 के बाद की जो सरकारें हैं, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें रोटी की समस्या कम हुई है । अब रोटी की मांग नहीं होती है, अब मांग होती है कि बिजली दो, अब मांग होती है कि पानी दो, अब मांग होती है कि शौचालय बनाओ, अब मांग होती है कि रास्ता बनाओ और मैं समझता हूँ कि .....

श्री सत्यदेव राम : और अभी मांग होती है कि गरीबों के बसने के लिए जमीन दो, गरीबों को सुरक्षा दो , हम बता दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है तो .....

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : नहीं हमको जानकारी है । हमको पूरी जानकारी है, जमीन की भी मांग होती है और बड़े पैमाने पर इंदिरा आवास बनाकर के गरीबों को घर बनाने में भी सहयोग किया है । ..... क्रमशः .....

टर्न–11/शंभु/27.02.16

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : क्रमश:.....महोदय, ये जो मांग होती है मैं समझता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी को जो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों को उठाने का, गांव को विकसित करने का, गांव को शहर की बराबरी में लाने का जो सपना देखा था, आज उस सपने को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 7 सूत्र का संकल्प लिया है और इसीलिए ये जो काम जिसकी अंदेखी होती थी, जिसके तरफ लोग घ्यान नहीं देते थे– माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य विषय में राज्यपाल के अभिभाषण में उन तमाम चीजों को आगे किया है। मित्रो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा दर्द होता है, क्योंकि गांव के गरीब, गांव के पिछड़े, गांव के दलित आज नीतीश कुमार के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गये हैं। वे हमेशा तरह तरह का नारा देते हैं। लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हमेशा द्विजवादी परंपरा के रहे हैं तो हमेशा जात–पात संप्रदाय का झगड़ा फैलाकर के देश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। मित्रो, जब यहां कोई भी इतनी तेजी विकास का काम बिहार में आगे बढ़ रहा है, बिहार में पूरी शांति है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है तो रोज दिन इनको दिखता है कि कानून व्यवस्था खराब है। यहां से पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब है। दिल्ली की कानून व्यवस्था देखो, जहां तुम बैठे हुए हो, जहां केन्द्र सरकार के हाथ में शासन व्यवस्था है, लॉ एंड आर्डर है। वहां से तो बिहार का कानून व्यवस्था काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। इनको बड़ा भारी समर्थन मिल गया था, संयोग से इनको समर्थन मिल गया था लोक सभा के चुनाव में और दुर्भाग्य से ये देश की गद्दी पर काबिज हो गये। आज साल डेढ़ साल से जो इन्होंने काम किया है, एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे गांव के गरीबों, गांव के किसानों और शहर में बसनेवाले व्यवसायियों को कोई नयी चीज इनके कार्यकाल में नहीं दिखलायी दिया है। हमारा तो कार्यकाल था पहले से– हमने गरीबों को दो रू0 तीन रू0 गेहूं और चावल देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उस सरकार में हम शामिल थे। हमारी सरकार ने देने का काम किया था। आज हम तमाम तरह की बड़े पैमाने पर बिजली की सुविधा गांवों में पहुंचाने का काम हो रहा है। गांव–गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम लालू और नीतीश जी की सरकार में किया जा रहा है तो मित्रो, इसको देखकर के उनका कलेजा फट रहा है। इसीलिए आज बिहारवासियों को नीतीश जी ने नारा दिया था– माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज दो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस सरकार में थे, विशेष पैकेज का समर्थन किया था।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा तो विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने नहीं दिया और बिहार की जनता संकल्पित है। बिहार की जनता निश्चय कर लिया है कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में विशेष दर्जा इन्होंने नहीं दिया तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया जायेगा ताकि बिहार को अपने आप मिलने की जरूरत है, वह मिल जायेगा। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्रांतिकारी नारे छिपे हुए हैं, क्रांतिकारी कार्यक्रम छिपे हुए हैं, क्रांतिकारी मुद्दे सामने आये हैं- बिहार की जनता राज्यपाल के अभिभाषण से बाग-बाग है और आनेवाले दिनों में बिहार की जनता प्रधानमंत्री के गद्दी पर कब्जा करने के लिए कोशिश करेगी।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री विनोद प्रसाद यादव।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के क्रम में धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मैं बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठित सरकार का जो दृष्टिपत्र है, विजन है उसको अभिभाषण के जरिये 83 बिन्दुओं में समाहित कर उसको रखा है। बिहार की जनता ने जो महागठबंधन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपार जनमत दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन ने जो जनता के बीच जो वादे किये थे उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है और यह सब बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेखित है। दूसरे तरफ से नेता प्रतिपक्ष कुल 87 उसमें संशोधन जोड़ने के लिए दिये, लेकिन कहीं न कहीं से वे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। आज वे लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आना था उसको सुनने की साहस उनमें नहीं थी और वे आज बायकॉट करके चले गये, लगता है कि लोकतांत्रिक परंपराओं से उनका विश्वास उठता जा रहा है, वे राजतंत्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हमलोग देख रहे हैं कि चारों तरफ राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं, जनता में काफी उत्साह है चाहे जिस विभाग का काम हो। सरकार हर विभाग के जरिये जनता को लाभ पहुंचाना चाहती है और उससे बिहार के तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार भी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो और इसके लिए बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार के सभी माननीय मंत्रीगण और तमाम जो महागठबंधन के समर्थक हैं, जनता के प्रति जिनका जुड़ाव है वे चाहते हैं कि बिहार खुशहाली के पथ पर आगे बढ़े। वे सकारात्मक कदम से सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग उनको भी बिहार के लोगों ने मत दिया- संयोग से वे जो सपना

पाले हुए थे सत्ता में आने का उनका सपना चकनाचूर हुआ, जिसके चलते वे आज भी उबर नहीं रहे हैं और बिहार की जनता के सुख दुख की बातों को छोड़कर अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। यहां पर राज्य में विधि व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में जैसे विद्वान साथियों ने बताया कि हमारे राज्य में अन्य राज्यों से काफी विधि व्यवस्था सुधार में है। हम चाहे जितना भी बड़ा अपराधी हों हमारी सरकार उस अपराधी तक पहुंचकर के उसको जेल के शिकंजे में डालती है और उसको पनिशमेंट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ आज जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश में नयी विचारधारा उत्पन्न करने की बात चल रही है.....क्रमशः।

श्री विनोद प्रसाद यादव, क्रमशः– आप देख रहे हैं तत्कालिक घटना जो चर्चा में है,कई सदस्यों ने कहा कन्हैया कुमार जी का, जो जे0एन0यू0 के अध्यक्ष। है छात्र संघ। के, उनको अदालत परिसर मे वकीलों, जो विद्ववान लोग हैं,जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं,वैसे लोगों ने उनके साथ। दुर्व्यवहार किया,उनको पीटा,आज वहॉ पर कोई विधि–व्यवस्था की समस्या नहीं है,वहॉ जंगल राज नहीं है,ये लोग जंगल राज बिहार को बताते हैं,जहॉ पर सब कुछ सुव्यवस्थित है,यहॉ सब कुछ ठीक ढंग से कार्य कर रहा है,यहॉ पर इनका सोच गरीबों के प्रति नहीं है,जहॉ पर गरीब का बेटा पढ़ने के लिए गया, रोहित वेमुला के साथ। जो इनका व्यवहार हुआ, एक तरफ ये बाबा साहब के आदर्शों की बात करते है,उनके सिद्वांतों को मानने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उनके जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं,उनको अपनी जान तक देने के लिए विवश कर देते हैं,ऐसे लोगों के प्रति आज देश के लोग उनकी भावना कैसी है, लोग समझ रहे है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी,जब लोक–सभा का चुनाव हो रहा था, तो देश के लोगों ने कई सपने दिखाकर गये..... (व्यवधान)

सभापति (श्री अशोक कुमार):– अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः– बस जल्द ही समाप्त कर दूंगा। महोदय, उनके सपनों के चकाचौंध में देश के लोगों ने उनको अपार बहुमत के साथ। देश में बैठाने का काम किया,अब दो साल में जो उनलोगों ने जनता के साथ। वादा किये थे, एक भी वादा जनता का उनके द्वारा पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा है और जब जनता को दिये गये वादा को पूरा होते दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनलोगों ने उन वादों से जनता का घ्यान हटाने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपना रही है। गरीबों के साथ। अन्याय हो रहा है और ऐसी स्थिति में मैं तो कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने जिस प्रकार महागठबंधन के पक्ष। में एक गोलबंदी शुरु हुई थी और बिहार से सीख ले करके गये और पूरे देश के लोग जो महागठबंधन की जीत हुई है,माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आज विकास कर रहा है, यहॉ की जनता जान रही है कि जो डपोरशंखी सरकार है इस देश की इसको उखाड़ फेंकने का काम शुरु हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की तरह पूरे देश में महागठबंधन की सरकार होगी और आने वाले दिनों में इन्हें

दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी, यह जनता का मूड है, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द ।

सभापति(श्री अशोक कुमार):-माननीय सदस्य श्री तौसीफ आलम। माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

माननीय सदस्या श्रीमती स्वीटी हेम्ब्रम ।

श्रीमती स्वीटी हेम्ब्रम:- माननीय सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। चूंकि मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते आपने हमें यह पहला मौका दिया,इसके लिए भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं कटोरिया विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित आदिवासी महिला हूँ और महामहिम राज्यपाल महोदय जी का जो अभिभाषण हुआ,उसके समर्थन में बोलने का मौका हमें मिला,उसका मैं समर्थन करती हूँ, अभिभाषण का मैं स्वागत करती हूँ,चूंकि उनका जो अभिभाषण था, वह पूरे बिहार के लोगों के लिए था,बिहार की जनता के लिए था,हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है,हमारी सरकार उन सारे कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है,यह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी दिया गया। सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय है, उस 7 निश्चय को हम आगे बढ़ायेंगे, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, उनका निश्चित रुप से पूरे बिहार में,पूरे देश में घर-घरं बिजली, पानी और सड़क, सारे निश्चय के साथ चलेंगे, हमारा जो संकल्प है उनके साथ,हम भी सरकार के साथ में अपने आप को आगे बढ़ायेंगे और मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आयी हूँ,उस विधान सभा क्षेत्र में भी विकास की गति बढ़े, विकास हो, हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करती रहे,हमारी सरकार सम्मान के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और हमारे जो विपक्ष के नेता है, बी0जे0पी0 की सरकार जो है केन्द्र में वह बहुत ही छल-कपट के साथ आगे बढ़ी है,उनका एक भी वादा अभी पूर्ण नहीं हो पाया है,उन्होंने वादा किया था कि हम मँहगाई घटायेंगे,गरीबों को 15-15 लाख रुपये देंगे, वह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कर पायी है, हमारी जो महागठबंधन की सरकार है, जिसतरह से हमलोग बिहार में महागठबंधन की सरकार को लाये हैं,उसी तरह आने वाले दिनों में हम दिल्ली पर भी काबिज होंगे और उस दिल्ली की सरकार को भी हम भगाने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा जो 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया,

उसका मैं समर्थन करती हूँ, चूंकि महिलाओं की स्थिति अभी काफी आगे बढ़ी हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ही पहल है जो हम महिलाएँ आज आगे बढ़े हुए हैं और हम जैसी महिलाएँ जो आदिवासी महिलाएँ हैं,हमें मौका मिला सदन में आने का, हमलोगों को आगे बढ़ाने का काफी पहल किया है और महात्मा गॉधी जी ने कहा है:-

कि तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद जाना, यह पथ का साधन है, तुम सिंह के साथ जाते वक्त भयभीत नहीं होना,

जो पराक्रम की परीक्षा है, तुम शराब और शराबियों से भयावित रहना, शराब पाप की अनुचर है।

यह हमारे नीतीश कुमार जी का ही पहल है कि हम पूरे बिहार को शराब मुक्त करेंगे, हम शराबियों से दूर जायेंगे, इसका भी मैं स्वागत करती हूँ।

सभापति (श्री अशोक कुमार):- अब आप समाप्त कीजिये ।

श्रीमती स्वीटी हेम्ब्रम:- मैं एक आदिवासी हूँ, सही माने में मुझे यह पहला मौका मिला था, मैं सभापति महोदय से एक गुजारिश करुंगी कि मैं अपनी ओर से आदिवासी महिला होने के नाते दो पक्ति आपके समक्ष रखना चाहूंगी:-

"हर नजर मूलत: विलासी है, तृप्त होकर भी रूह प्यासी है,

तन से हो जाये आधुनिक कोई, मन से हर व्यक्ति आदिवासी है ।''

सभापति (श्री अशोक कुमार):- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री अशोक कुमार) : माननीय सदस्या सुश्री पूनम पासवान ।

सुश्री पूनम पासवान : सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । महामहिम राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में जितनी बातों को लाया गया है, मैं उनका समर्थन करती हूं । महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि बिहार में जिस तरह गठबंधन की सरकार बनी और बिहार में गठबंधन जितनी मजबूत हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही ने जिस तरह से बिहार को चलाने का काम किया और बिहार में मजबूत गठबंधन बनाने का काम किया और बिहार में आज हमारी सरकार मजबूती से बनी है,जब हमलोग क्षेत्र में जाते थे प्रचार के लिये, तो यह सुनने के लिये मिलता था महिलाओं के द्वारा कि हमलोग गठबंधन को वोट दे रहे है, हम माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गठबंधन द्वारा हाथ छाप कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं । इस तरह हमलोगों को बिहार की जनता का भरपूर सहयोग मिला और हमारी जीत हुई । जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार म ेंअफवाहें फैलाने का काम किया, ऐसा लगता था कि बिहार में भाजपाई पूरी तरह जिस तरह मीडिया के द्वारा बयानवाजी और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुये हैं, का बयान आता था, हम जब क्षेत्र में जाते थे तो मुस्लिम द्वारा महसूस किया जाता था कि अगर इस तरह का भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो वे कहते थे कि हमारी क्या हालत होगी और हम किस तरह से रहेंगे ? वह आये सीमांचल की ओर और वहां के मुस्लिम भाईयों ने उन्हें तरजीह देने का काम नहीं किया । तो इस तरह बिहार में आज हमारी सरकार बनी, आज बिजली से लेकर आज जो स्थिति में सुधार हुई है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुधार किये हैं, उसी का यह परिणाम है, हमलोग 350कि0मी0रोड से आते हैं पहले यहां रोड से आने के लिये सोचना पड़ता था, आज जो सड़क नजर आ रही है, जिस तरह से बिहार में सड़को का धुर्वीकरण हुआ है और गांवों में साफ-सुथरी नाली की चर्चा हो रही है, जब हमलोग बिहार में गांवों में चुनाव प्रचार में गये तो अगर हम सारे माननीय सदस्यों की साफ सुथरे गांव ओर नाले की मांग को पूरा किया जाय ेतो हम समझते हैं कि जिस तरह दिल्ली की गद्दी पर बैठ कर बिहार में अफवाहें फैलाने का काम किया तो आज हमलोग बता देंगे कि आनेवाले लोकसभा चुनाव में किस तरह अफवाहों को परस्त किया जाता है और काम के आधार पर जिस तरह हमलोग बिहार में सरकार बनाये है, उसी काम के आधार श्पर बिहार की कुर्सी जब आगे बढ़ती है तो पूरी दिल्ली को पूरे देश को दिखाने का काम करती है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्षमहोदयय ने अ ासन ग्रहणकिया ।)

हमने जिस तरह आगे आनेवाला लोक सभा चुनाव में भाजपा को बताने का काम करेंगे तो हम समझते हैं पूरे देश में बिहार से संदेश जाता है ओर देश की गरिमा बिहार से शुरू होती है और हमलोग उनके सामने मजबूति से खड़ा होने का काम करेंगे और ऐसे झूठे वादे ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सुश्री पूनम जी, आप अच्छा बोल रही हैं । अब आप को समाप्त करना पड़ेगा। आप एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

सुश्री पूनम पासवान : जी अच्छा । हमारी सरकार की जो भी गतिविधियां होगी, हमलोग अपने क्षेत्र में अपने सीमांचल की ओर हमारे जो कार्य आगे बढ़ रहे हैं, हमलोग साथ मिलकर उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और गति देने का काम करेंगे ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राजयपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद पर हमें जो बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । महामहिम जी का अभिभाषण बिहार सरकार के कार्यों का आईना है। बिहार की जनता ने जो महागठबंधन के पक्ष में एक अद्भूत ओर ऐतिहासिक जनादेश दिया है,उनका जो विश्वास और आशा है, वह इस उम्मीद के साथ श्री नीतीश कुमार जी पर जो भरोसा किया है, उसको बिहार सरकार कदापि टूटने नहीं देगी । इसके लिए सरकार संकल्पित है । यह भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला है । महामहिम का जो अभिभाषण हुआ है, उससे स्पष्ट है कि बिहार में जो चौमुखी विकास हो रहा है,,राज्य सरकार जो विकास का कार्य कर रही है, विकास की दिशा की ओर राज्य सरकार बढ़ रही है,जो विकास का नारा है, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प है, न्याय के साथ बिहार का विकास हो रहा है, उस संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है। हमारे बिहार का रोड मैप, कृषि मैप, मिशन विकास यह सब दर्शा रहा है, बिहार सरकार की जो नीति है, कौशल मिशन नीति है, वह बिहार को आगे बढ़ाने में काफी मजबूती देगा । बिहार को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री जी को जो सात निश्चय है - आर्थिक हल, युवाओं के बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का विकास, हर घर को शौचालय, हर घर को नल का पानी, हर घरको बिजली, हर घर तक पक्की सड़क, इससे स्पष्ट होता है और हमारे जो विपक्षी माननीय सदस्य है जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके मैं पूछना चाहता हूं सदन के माधयम से कि क्या अभी भी आप को विकास नहीं दिखाई दे रहा है । विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का जो सपना है, नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का जो कार्यक्रम है,वह काफी अच्छा है । महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हं । ऐसे विकास पुरूष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमलोगों को काम करने का जो मौका मिला है, मैं फख्र महसूस करता हूं और मैं गौरवान्वित हूं कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिनका व्यक्तित्व इतना विराट है, उन्हें शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है । हर उपमा, हर अलंकरण छोटा प्रतीत होता है । विकास पुरूष श्री नीतीश

कुमार जी हैं जो बिहार के विकास के लिये रोड मैप बनाये हैं, मैं सारी बातों को देख रहा हूं और मैं माननीय महोदय से आग्रह करता हूं कि इन्होंने जो रखा है। महामाहिम के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुये वाद-विवाद तथा उस पर सरकार का उत्तर ।

सरकार का उत्तर

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय,मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। अच्छा होता सरकार के उत्तर के वक्त विपक्ष भी उपस्थित होता लेकिन मैं पिछले कुछ सत्र से ये एक ट्रेंड देख रहा हूॅ कि सरकार के उत्तर को सुनने का उनमें धैर्य नहीं है और कोई न कोई कारण ढूंढ लेते हैं। अब आज शनिवार को सत्र हो रहा है, यह निर्णय कार्यमंत्रणा समिति ने लिया। कार्यमंत्रणा समिति को यह अधिकार है । उस निर्णय के आधार पर सोमवार की बैठक स्थगित की गयी और उसके पहले शनिवार को बैठक हो रही है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज तक संसदीय परिपाटी जो रही है हमारे विधानमंडल में उसका पालन होता रहा है। कार्यमंत्रणा समिति की अनुशंसा को सदन स्वीकार करता रहा है और जब उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो उसी के अनुरूप कार्य आगे बढ़ते हैं लेकिन उस पर ऊंगली उठाने का भी एक नया सिलसिला प्रारम्भ हुआ है। यह अच्छा लक्षण नहीं है और यह इस बात को दर्शाता है कि आज जो विपक्ष है, वह बहुत ही परेशान है । वह संसदीय परम्पराओं का भी उल्लंघन कर रहा है। अब सार्वजनिक रूप से विपक्ष में बैठे हुए लोग उनके नेता बयान देते हैं शायद ये कारण था 29 तारीख को केन्द्र का बजट संसद में पेश होगा तो जो मुख्यमंत्री यहां बोलते उसको मीडिया में जगह नहीं मिलती। मैं समझता हूॅ कि ऐसी ओछी बातें वहीं करेंगे जो किसी न किसी प्रकार से मीडिया में बने रहना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट है अगर 29 तारीख को केन्द्र सरकार का आम बजट संसद में आने वाला है तो हमलोग भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। जिस समय कार्यक्रम बना और मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी और उसके हिसाब से इसको प्रचारित किया गया आम सदस्यों के बीच में लेकिन ये तो प्रावधान है ही कि अगर उसमें कोई संशोधन करना हो तो कार्यमंत्रणा समिति बैठकर संशोधन करती है। सदन की बैठक को बढ़ाती है, सदन की बैठक को कभी कभी स्थगित करती है, ये सब तो कार्यमंत्रणा समिति में होता ही है ऐसी कौन सी अजूबी बात है। अगर बजट आ रहा है उसको सब लोग सुनेंगे तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके बजट को सब लोग सुनेंगे, हमलोग भी सुनेंगे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। असल उनकी परेशानी है कि वो प्रश्न उठाकर चले जाते हैं और उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। न सुनने का धैर्य है, न सुनने की शक्ति है, दोनों में कुछ नहीं है। अब कल के इस बहस पर भाग लेते हुए कैसी कैसी बातें की गयी है, मैं किन-किन बातों का जवाब दूं। पहले मैं कुछ बातों का जवाब देना मुनासिब समझता हूॅ, भले ही विधान-सभा में विरोधी दल के नेता सदन में नहीं है लेकिन उन्होंने कई बातें कल

कही है जो कभी कभी आश्चर्यचकित करता है कि आंकड़े कैसे पेश करते हैं,कहां से आंकड़े आते हैं । क्राईम के संबंध में जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं वह सर्वविदित है एक तो राज्य सरकारें उनका पुलिस महकमा प्रकाशित करता है और जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं उन आंकड़ों को केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है और गृह मंत्रालय के अधीन नेशल क्राईम रेकर्ड ब्यूरो बना हुआ है, वो हर साल के आंकड़ों को पूरे देश के आंकड़ों को प्रकाशित करता है अलग-अलग राज्यों का फिर उसका वो विश्लेषण करता है आंकड़ों का प्रति लाख की आबादी पर कहां कितने अपराध हुए, देश भर का औसत क्या रहा,किस राज्य में कितने अपराध हुए, यह सब को वही एक मात्र आपराधिक आंकड़ा है जिसको माना जाता है और उसी को उद्धृत किया जाता है। अभी 2014 के आंकड़े प्रकाशित हैं, 2015 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। चूंकि 2015 के आंकड़ें 2016 में कुछ महीनों के बाद वो प्रकाशित करते हैं सब का संकलन करने के वाद वो प्रकाशित करते हैं और उन आंकड़ों का जिक्र तो हमने किया था यहां चुनाव अभियान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े नेता, और तो छोड़ दीजिये देश के प्रधानमंत्री जी भी कभी कभी अपराध की बात कह देते थे कई दफा मैंने अपने अभियान के दौर में एक-एक बात का जवाब हमने दिया था और जो भी अपराध के संबंध में आंकड़े रखे, वह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े थे, उनके द्वारा प्रकाशित आंकड़े थे लेकिन आश्चर्य होता है कि कल तरह तरह की बातें कहीं गयी है। कल बताया गया था कि देश भर में प्रतिदिन औसत बलात्कार की 9 घटनाएं होती है उसमें अकेले बिहार में 6 घटती हैं । पूरे भारत में प्रतिदिन हत्या का औसत 27 घटनाओं में अकेले बिहार में 12 घटनाएं होती है। इसी तरह से कई आंकड़े पढ़े गये, पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं और सदन के अन्दर जब कोई आंकड़ा प्रस्तुत करिये तो आपके पास उसका कोई प्रमाण होना चाहिए वरना आंकड़ों के रखने में परहेज करिये कल तो तरह तरह की बात कहीं। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ जो 2014 में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हत्या के मामले में अपराध दर के आधार पर बिहार 3.3 कांड प्रति लाख जनसंख्या की अपेक्षा छतीसगढ़ में 3.9,हरियाणा में 4.1, झारखंड में 5.0 उससे बेहतर है। अपराध दर के आधार पर हत्या में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का 12 वां स्थान है तो कहां यह 2014 के जो आंकड़े हैं वो कुछ और बतलाते हैं और ये कहां से आंकड़े लाकर ये बोलते रहते हैं और जब हम देखते हैं, तुलना करते हैं पिछले वर्षों से भी तो हम देख रहे हैं कि इसमें कमी आती जा रही है। 2015 का हम देखते हैं जो हमारे राज्य सरकार के पास आंकड़े हैं उसको हम देखते हैं अपराध अभिलेख ब्यूरो का तो सालाना प्रकाशित होता है, तो 2012 में हत्या की 3566 घटनाएं, 2013 में 3441, 2014 में 3403 और 2015 में 3178 घटनाएं घटित हुईं। यानी घटनाओं की संख्या,

हत्या के वारदातों की संख्या भी घट रही है लेकिन मैं इन चीजों पर बहस नहीं करना चाहता हूॅ । मैं उस पर आऊंगा । मैं तो जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूॅ सदन में इस बात को दर्ज कराना चाहता हूॅ कि कल नेता विरोधी दल के द्वारा जो आंकड़े रखे गये उसका सच्चाई से और तथ्य से कोई वास्ता नहीं है और न ही उसका कोई आधार है लेकिन बोलना है, कुछ भी बोलना है, लगतार बोलते रहना है। चूंकि कुछ लोगों की आदत है, वह शब्द अससंदीय है लेकिन हिन्दी में वह मुहावरा है- झूठ की खेती। मैं किसी को नहीं कह रहा हूॅ कि वह झूठ बोल रहे हैं। उसकी जगह पर पर हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे असत्य लेकिन झूठ की खेती, यही इनलोगों का आचरण है। इस प्रकार से हर प्रकार की घटनाओं के मामले में । इंतजार करना चाहिए 2015 के भी आंकड़े कुछ महीने के बाद, महीने दो महीने के बाद राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो प्रकाशित ही कर देगा।(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार : ...क्रमशः... अगर अध्यक्ष महोदय आप चाहेंगे तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा या पुलिस महकमे में जो आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, आप कहेंगे तो जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं, वह रख देंगे । वैसे हमलोग जानबूझ कर कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो अभिलेख के आंकड़े ही अधिकारिक हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं । लेकिन आप कहेंगे तो हम राज्य की तरफ से भी आंकड़ ` प्रस्तुत कर देंगे अलग-अलग क्षेत्र में ।

अपहरण के मामले में - दो तरह के अपहरण होते हैं । एक सामान्य अपहरण हुआ और एक होता है फिरौती के लिए अपहरण । जो सामान्य अपहरण हैं उसकी घटनाएँ ज्यादा प्रतिवेदित होती हैं । उसका कारण यह है कि अगर कोई घर से लापता भी हो जायेगा और 24 घंटा के अंदर अगर वह नहीं लौटता है और पुलिस को रिपोर्ट होता है तो उस मामले को अपहरण की धारा के अन्तर्गत दर्ज करना पड़ता है, यह अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो गया है । आप ऐसा मत समझियेगा कि वाकई जो अपहरण के केस होते हैं, ये मात्र वही आंकड़े हैं, उन मामले को भी अपहरण की धाराओं में केस दर्ज करना पड़ता है । घर से बाहर चले गये हैं, लौटकर नहीं आये हैं और घर वालों को पता नहीं है तो उनको अन्य धाराओं के अलावे अपहरण की धारा के अन्तर्गत मामले को दर्ज करना पड़ता है । इसलिए हो सकता है कि अपहरण के मामले में आपको आंकड़ों में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ जाय लेकिन उसका कारण यह है, सबको जानना चाहिये, सबको समझना चाहिये । यह कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब अपहरण के आपराधिक मामले ही अंत में साबित होंगे लेकिन आंकड़ों को दर्ज करना पड़ता है । लेकिन बाकी जितने अपराध हैं, उन मामलों में आंकड़े इस बात के सबूत हैं।

अब रही बात कि प्रतिदिन देश के हर हिस्से में होता है अपराध, नहीं होना चाहिये । सबका लक्ष्य है कि अंततोगत्वा अपराध मुक्त समाज स्थापित हो जाय । लेकिन वह तो लक्ष्य है, आदर्श है । तरह-तरह की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति लोगों की होती है और आपराधिक घटनाएँ घटती हैं । सवाल है कि आपराधिक घटनाएँ घटे और उसपर जो कार्रवाई होनी चाहिये, वह कार्रवाई होती है या नहीं । प्रश्न इसका है । आपराधिक घटनाएँ नहीं घटेंगी, इसका कोई भी अगर दावा करता है तो वह उसका दावा वेबुनियाद है । लक्ष्य जरूर हो सकता है । दुनिया के हर हिस्से में अपराध की घटनाएँ घटती हैं । बिहार में अपराध की घटना घटी, सुबह से शाम तक कहीं कुछ घटा, उन सबको इकट्ठा करके शाम में एक बयान जारी कर दिया, बयान इसलिये जारी कर दिया कि कल किसी न किसी प्रकार से मीडिया में आ जाय और कहिये कि देखिये इतने अपराध हो रहे हैं । जिस आधार पर, जिस पैमाने पर बिहार में घटित घटनाओं को संकलित

करके प्रकाशित करते हैं, उसी आधार पर छतीसगढ़ के बारे में भी प्रकाशित करिये, मध्य प्रदेश में घटित घटनाओं के बारे में प्रकाशित करिये, राजस्थान में घटित घटनाओं को प्रकाशित करिये, हरियाणा में घटित घटनाओं को प्रकाशित करिये, गुजरात में घटित घटनाओं को प्रकाशित करिये, महाराष्ट्र में घटित घटनाओं को प्रकाशित करिये, तब न हम जानें ! उसी आधार पर, हम और कुछ नहीं कहते हैं, खाली सुबह से शाम तक जितने तरह की आपराधिक घटनाएँ घटती हैं सभी राज्य में, सबको प्रकाशित कर दीजिये और उसके बाद सबको जरा-सा छाप दीजिये । तब न तुलना कीजियेगा !

अपराध के मामले में एक परशेप्शन, एक अवधारणा बनाने की चेष्टा हो रही है। कुछ और नहीं है । कई प्रकार के अपराध होते हैं, सब प्रकार के अपराधों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है । सदन को और सदन के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को हम आश्वस्त करते हैं कि आपराधिक घटनाओं के मामले में अनुसंधान में और उसपर कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती है । अगर कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी । आप यह मत समझिये कि एक भी घटना पर नजर नहीं है, एक-एक घटना पर नजर है । मैंने तो सिर्फ यह कहा कि आपराधिक घटनाएँ घटती हैं, सब जगह घटती हैं । हमारे यहाँ किसी भी मामले में कोई भेदभाव तो नहीं है, आप भेदभाव का आरोप लगाते हैं । किस अपराधी को बचाया जा रहा है ? एक विधायक का नाम आया है एक बलात्कार के मामले में तो पुलिस ने कितने जगहों पर छापा मारा है, टीम गठित करके कार्रवाई हो रही है । कोई कबतक भाग कर कहाँ जायेगा ? कानून के कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा और हम आश्वस्त करते हैं कि कानून के कठघरे में खड़ा करके अदालत से अपील की जायेगी कि इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिये । कोई बता दे कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई हो ! एक विधायक उसमें इनवॉल्व्ड हैं, उसके बारे में, अधिकारियों ने जो जानकारी दी लेकिन मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि ऐसे मामलों में जो पीड़ित है लड़की या महिला, उसका मेडिकल बोर्ड से जाँच होना चाहिये । एक डॉक्टर से जाँच कराया गया था । मैंने तत्काल सबसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, मेडिकल बोर्ड से फिर जाँच करा दिया गया था लेकिन हमने कहा कि यह चूक कैसे हुई, अगर ऐसी चूक होगी तो दोषी को कहीं न कहीं तकनीकी तौर पर फायदा हो सकता है, हमने कहा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं, मैंने डी0एम0 से पूछा, डी0आई0जी0, पटना से पूछा, आई0जी0, पटना से पूछा, सबसे पूछा । उसके बाद हमने तत्काल चीफ सेक्रेटरी को कहा कि तत्काल कार्रवाई कीजिये पुलिस अधीक्षक पर । हमने पूरे जाँच का आदेश दिया है कि पूरा जाँच करिये कि और कोई मामला तो नहीं है । पता नहीं इस तरह की कोई तकनीकी कमी रह जाय और उसके आधार पर किसी को लाभ मिल जाय । हमलोगों की नजर तो

वहाँ तक है । कौन किसको बचा रहा है ? बयान का भी एक स्तर होना चाहिए । मेरे साथ ये भाजपा के लोग सरकार में रह चुके हैं, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हैं, मेरी कार्य-पद्धति से अवगत नहीं हैं ? हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं, किसी का दबाव भी नहीं है । कौन दबाव देगा, क्यों दबाव देगा ? लेकिन जबर्दस्ती लोगों के बीच में एक अवधारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है । दरअसल पूरे चुनाव के दौरान महागठबंधन के खिलाफ ये लोग जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करते रहे, जंगलराज आ गया। महागठबंधन की सरकार विशाल बहुमत से बन गई तो जो लोग जंगलराज-जंगलराज बोलते थे, उनको लगता है कि कुछ भी हो तो जंगलराज कह दो । हालत तो यह हो गई है कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर चला दिया, कर्नाटक की एक घटना का उल्लेख किया और लिख दिया - बिहार में जंगलराज । बहुत लोग उसको लाईक करने वाले भी मिल गये, बहुत लोगों ने कमेन्ट किया, कुछ लोगों ने शायद री-ट्वीट भी कर दिया । लेकिन मात्र तीन लोग थे जिन्होंने यह लिखा कि अरे भाई, घटना कर्नाटक की है, बिहार में जंगलराज का इसका क्या मतलब है ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यही देख रहा था कि बिना पढ़े लोग तुरंत जंगलराज सुनते ही नाचने लगते हैं और लाईक करने लगते हैं । इस बात का हमने उल्लेख किया था एक सार्वजनिक सभा में, हमारे पार्टी के द्वारा जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयन्ती समारोह का आयोजन था, उस दिन हम सुना रहे थे इस घटना के बारे में । यह तो हालत है । यह अवधारणा पैदा करने की कोशिश है । हमलोगों को सब मालूम है । प्रचार में माहिर हैं और कुछ भी करेंगे ।

हम तो सारा काम कर रहे हैं, जहाँ तक लॉ एण्ड ऑर्डर और क्राईम का प्रश्न है, वह पूरे तौर पर नियंत्रण में है । बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव है, सामाजिक सौहार्द है, लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है । ये डर उत्पन्न करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग डरने लगें । शाम में अभी भी महिलाएँ निकल ही रही हैं, इनलोगों के लाख डराने के बाद भी । बाजार खुला ही हुआ है देर तक । सब लोगों को पता है ।

...क्रमशः....

श्री नीतीश कुमार : (क्रमशः) कोई जब चाहता है घर से निकलना, निकल रहा है, वापस घर जाना चाहता है, घर जा रहा है, कहीं कोई व्यवधान नहीं लेकिन ये भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं । यह इनकी साजिश है । लेकिन इस साजिश में वे कामयाब नहीं होंगे । हमने तीन दिन पूरी समीक्षा की है, विभागवार समीक्षा की थी तो उस दिन हमने समीक्षा की थी थोड़ी लेकिन हमने कहा था कि डिटेल समीक्षा करेंगे, दो दिन समीक्षा करने के बाद हमने कहा कि आप जिलावार आंकड़े तैयार करिए थानावार अपराध के, ट्रेंड पता करिए कि किस इलाके में किस किस्म के अपराध होते हैं, अध्ययन करिए, विश्लेषण करिए तो अपराध पर काबू पाने में और सहुलियत होगी और इसके अलावे और कोई सामाजिक अभियान भी चले तो कैसे चलाया जाय । हमने इसलिए बैठक की और आपको हम बताना चाहते हैं कि उस बैठक में हर बिन्दु पर हमने चर्चा की क्राईम पर और सब कुछ पर और हमने पुलिस अधिकारियों को कहा कि भाई आप अपराध के आंकड़े बता रहे हैं कि कम हो रहे हैं लेकिन एक परसेपसन पैदा करने की कोशिश हो रही है । आपको न सिर्फ घटित घटनाओं के खिलाफ जबर्दस्त और समय सीमा के अन्दर कार्रवाई करनी है विधि–सम्मत बल्कि इसके अलावे और ज्यादा पहल करनी है । कहा, क्यां और भी संस्थागत सुधार करने की जरूरत है । मैंने मीटिंग में दिशा निर्देश दिया और हमने कहा है कि बिहार के लोगों को किसी भी प्रकार का यह शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि हमने थाना को कहा लेकिन केस दर्ज नहीं किया, थाना को फोन किया, थाना को खबर की, थाना के लोग आये नहीं तो हमने कहा है कि 24X7 24 घंटे डी0जी0पी0 के कार्यालय में एक बड़ा कौल सेंटर रहेगा, हेल्प लाईन उसका जारी किया जायेगा । बिहार के किसी कोने से आप फोन करिए और हर कौल रेकोर्ड होगा और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, यह भी अंकित किया जायेगा कि क्या कार्रवाई हुई चाहे दूर देहात से और आज हमको मालूम है कि बिहार में 6 करोड़ लोगों के पास मोबाईल है, इसलिए अब वह कॉम्यूनिकेशन की समस्या नहीं है । कहीं से भी फोन करके आप बता सकते हैं । डी0जी0पी0 के कार्यालय में पर्याप्त लोग उपस्थित रहेंगे 24घंटे और इसके लिए हमने कहा है कि जो भी मैन पावर की जरूरत है, 24 घंटे चलना है, इसलिए इसको तीन शिफ्ट में बैठेंगे, उसके अलावे ट्रेनिंग, छुट्टी इन सबको जोड़ लीजिए और कहिए कि इतने लोगों की जरूरत है और उतने लोगों की वहां पर पोस्टिंग होगी । सिर्फ कौल उठाना नहीं है, बल्कि कहां से कौल आया तुरंत उसका आई0टी0 के सहारे इन्तजाम रहेगा ताकि तत्काल उसके बारे में संवद्ध जिला के

एस0पी0 को और थानेदार को भी सूचना तुरंत चली जाय । कहां जायेंगे, क्या उसके आगे कार्रवाई हुई है, वह भी उनको बताना पड़ेगा । घटना घटी तो तत्काल वे पहुँचेंगे और यह कार्रवाई हम इतना बड़ा शुरू करने वाले हैं । यह दिखावे का नहीं है, यह काम ऐसा होगा कि कोई भी फोन करेगा, उसका फोन एटैंड होगा और इतनी संख्या में फोन के कनेक्शन रहेंगे और साथ-साथ कार्रवाई भी होगी । डी0जी0पी0 को भी उसकी रिपोर्ट जाती रहेगी पूरी और उसको मोनीटर करेंगे सर्वोच्च अधिकारी और सबसे बड़ी बात है उसका हम इनफॉरमेशन कॉम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी के सहारे मोनेटेरिंग भी करेंगे । कितने फोन आये, क्या कार्रवाई हुई, किस-किस नेचर के फोन थे, कितने अपराधिक वारदात के थे, उसके आगे क्या कार्रवाई हुई, आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है । जब कोई साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति कहीं पैदा होती है तो डी0एम0 और एस0पी0 उसके लिए संयुक्त रूप से जवाबदेह हैं और तत्काल वे निकलते हैं और एक इन्डेपेंडेंट इनभेस्टीगेटीव जर्नलिस्ट जो इंडियन एक्सप्रेस में हैं, उन्होंने कई राज्यों के साम्प्रदायिक स्थिति का अध्ययन किया है और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित होती रही है । अनेक राज्यों का करने के बाद वे बिहार भी आये थे और बिहार में सब अध्ययन करने के बाद उनकी रिपोर्ट छपी है, वे हमसे बाद में मिले थे । उन्होंने हमसे एक बात कही कि हमने कई राज्यों का अध्ययन किया लेकिन कहीं कोई साम्प्रदायिक डिस्टर्वेंस होता है तो जो रिसपौंस टाईम है पुलिस का, वह उतना ही है जितना थाने से वहां पहुँचने में वक्त लगता है और ऐसा कहीं नहीं है। ये चुनाव के पहले हमको बता रहे थे । यह तो हमने कई क्षेत्रों में एचिव किया है तो इसी तरह से डी0जी0पी0 के कार्यालय में ये जो 24X7 24 घंटे ये कौल सेंटर चलेगा और यहां का हेल्प लाईन प्रचारित होगा और उसकी पूरी की पूरी गतिविधि रेकोर्डेड होगी, यही नहीं अन्दर बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, इसको भी हम रेकोर्ड करायेंगे । ऐसा नहीं हो कि फोन का घंटी बज रहा है और वे जमाही लिये हुए है । यही नहीं अन्दर का भी पूरा रेकोर्डिंग होता रहेगा और जो बात हो रही है, वह भी रेकोर्डिंग हो रही है, क्या काम किया गया, वह भी रेकोर्डेड रहेगा ताकि सब कुछ लोगों के सामने रहे तो यह व्यवस्था बिहार में की जायेगी और हमलोगों ने इनको समय दिया है कि पूरा सब कुछ कर लीजिए, वैसे पुलिस मुख्यालय ने मुझको बताया है कि मई तक वह तैयार हो जायेंगे ।

इसके अलावे यह बार-बार आता है कि फंलाने को अंगरक्षक नहीं दिया गया, उसको अंगरक्षक नहीं दिया गया तो हमने कहा कि अब तक तो जिला सुरक्षा समिति थी, अब ये डी0एम0, एस0पी0 वाला व्यवस्था बंद कीजिए, जिनको सुरक्षा दी जाती है पद के आधार पर , वह तो मिल ही रहा है । आपको देखना है कि किसी को क्या खतरा है । उसको कहते हैं थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन का विश्लेषण होता है

और उसके आधार पर सुरक्षा का स्तर निर्धारित होता है और तब वह सुरक्षा दी जाती है। हमने कहा कि इसके लिए पूरा जो मापदंड है, वह तैयार करिए और जिला में नहीं, अब सीधे स्टेट लेवल पर सुरक्षा समिति रखिए, जहां के बारे में पूरी रिपोर्ट लेने के बाद आप तय करिए कि इनको सुरक्षा देनी है या इनको सुरक्षा नहीं देनी है। यानी मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ । जिन्हें पदों के आधार पर मिल रहा है, चाहे वे एम0एल0ए0 हों, एम0पी0 हो, एक्स-एम0एल0ए0 हों या अन्य प्रकार के अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों, अन्य लोग हों, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के लोग हों, जिनको पद के आधार पर सुरक्षा मिलती है और जिनके लिए स्टेच्यूटरी व्यवस्था है सुरक्षा का, उनके अलावे किनको क्या सुरक्षा मिलनी है, उसके बारे में स्टेट लेवल पर यह चीज होगी । अब उसको बदलिए वरना मुझको पता चला कि कोई सुरक्षा इस जिला से भी लिये हुए है और कोई सुरक्षा दूसरे जिले से भी लिये हुए है । हमने कहा कि जरा हिसाब लगाईए कि कितने लोग किनके-किनके सुरक्षा में कौन-कौन जिले से लगे हुए हैं । कभी-कभी शिकायत मिलती थी कि बी0एम0पी0 से भी ले लिया है, फंलाना जगह से भी ले लिया है तो अरे भाई दे कैसे रह रहे हैं तो एक सिस्टम रहेगा, कौन किसकी सुरक्षा में लगा हुआ है, वह तय होगा और हमने पहले ही तय कर दिया है । सुरक्षा के लिए हमने पदों का सृजन कर दिया है पहले से और पद की सृजन की जरूरत होगी तो हम करेंगे। आपलोगों की भी सुरक्षा में जो लोग हैं, उनका भी नाम वही दर्ज हो जायेगा । हम बदलना नहीं चाहते हैं, अगर आपके साथ है और आपका ट्रस्ट है तो वहीं रहेगा लेकिन अब वह जिला से और इतने जिलों से हो रहा है, जिसका कोई भी हिसाब-किताब एक जगह नहीं रहता है । हां एस0पी0 को तो अधिकार है, अगर कोई घटना घटती है और किसी को सुरक्षा देनी है तो एक महीना तक सुरक्षा वे दे ही सकते हैं, वह व्यवस्था रहेगी। लम्बे काल के लिए कई एक निश्चित अवधि के लिए या किसी को लम्बी अवधि के लिए किसी को सुरक्षा देने की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए थ्रेट परसेपसन के आधार पर, उनके ऊपर खतरे को आकलन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था करने की प्रक्रिया निर्धारित होगी और यह राज्यस्तर पर बनेगा । इसके अलावे जगह-जगह शिकायत मिलती है साहेब कि जो सुरक्षाकर्मी हैं, किसी के साथ सुरक्षाकर्मी है, बहुतों को मैं जनप्रतिनिधि की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोगों को सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें अधिकारी भी हैं और पुलिस पदाधिकारी भी हैं । भाई कारबाईन लटकाये हुए हैं लेकिन पता चला कि दुकान से सामान उठाकर जा रहा है, अरे भाई वह सुरक्षा के लिए है, आपका सामान ढ़ोने के लिए सुरक्षाकर्मी नहीं मिला हुआ है । आप कहीं जाते हैं तो सुरक्षाकर्मी का काम है सुरक्षा करना, कैसा दृश्य

उपस्थित होता है, अगर एक कंधे में कारबाईन है और दूसरे कंधे में आप कोई सामान लिये हुए हैं तो वह आपकी क्या सुरक्षा करेगा ?

..... क्रमशः .....

टर्न-17/शंभु/27.02.16

श्री नीतीश कुमार : क्रमशः.....वाकई आप पर खतरा होगा तो उसका हाथ तो बंधा हुआ है, कार्बाइन तो लटका का लटका रह जायेगा, आप भी उपर चले जाइयेगा। यह सारी व्यवस्था करने का हमने निदेश दिया है और कोई अपवाद नहीं। अधिकारी हों या कम हो, इसके अलावे बहुत लोग शिकायत करते हैं, हमलोग होमगार्ड का कैसे बढ़ा दिये 400 रू0 करा दिये, लेकिन होमगार्ड कहां-कहां लगा हुआ है, पता भी नहीं है। सुरक्षा में, देखभाल में कहां-कहां लगा हुआ है। हमने कहा पुलिस पदाधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षा देनी है, घरों पर होमगार्ड देना है तो हम देंगे, लेकिन स्तर का निर्धारण कर लीजिए किसको कितना मिलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, जेनुइन होना चाहिए कि किसी के घ्र में 20 आदमी। ये राजकोष का पैसा लगाकर के हम होमगार्ड को दे रहे हैं, प्रति दिन का भुगतान कर रहे हैं तो इसका भी व्यवस्था का संस्थागत रूप होगा। यह हमने साफ तौर पर कहा है और उसपर काम हो रहा है, समय-सीमा के अंदर काम होगा। इस-इस तरह से एक-एक काम को कर रहे हैं।

अब वाहन चेकिंग होती है, पटना में हुआ है हेलमेट को चेक करने के लिए और सबकुछ हुआ, एक सुरक्षा का माहौल भी बनता है। हमने कहा है कि इसी प्रकार से और जगहों पर भी और शहरों में भी ये काम कीजिए। उसकी चेकिंग से बहुत कुछ पता चल जाता है इसलिए चेकिंग कराइये। दूसरी बात आजकल सी0सी0टी0वी0 से बहुत सारे क्राइम का डिटेक्शन होता है तो हमने कहा कि सी0सी0टी0वी0 का दायरा और बढ़ाइये ताकि हमेशा वो चीजें कैद होती रहे, प्रमुख शहरों में। इसको भी बहुत जल्दी हमने चार महीने के अंदर कहा है कि इसकी पूरी कार्य योजना बनाकर इसपर अमल करना है तो सुरक्षा के परिदृश्य को और बेहतर करने की बात।

नियुक्ति जो होती है पुलिस में उसमें कई तरह की चीजें उसमें अगर कोई पुलिस मैनुवल में सुधार करना हो तो उसका सुधार कीजिए और उसका प्रस्ताव लाइये। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है- थानों के ठीक ढंग से संचालन के लिए, ये हमारे पुलिस एक्ट में भी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इसकी सुनवाई हो रही है। थाने का काम है दो प्रकार का - एक है क्राइम का

अनुसंधान और दूसरा है लॉ एंड आर्डर का मेनटेनेन्स। अपराधिक मामलों का अनुसंधान और दूसरा है- विधि व्यवस्था का संधारण। ये दोनों अलग-अलग करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा कि कोई आइ0ओ0 बना हुआ है, वह विधि व्यवस्था के काम में भी जा रहा है। हमने प्रयोग के तौर पर शुरूआत करायी थी पटना शहर से, उसके बाद कुछ और थानों में हुआ, लेकिन हमने कहा कि अब इंतजार नहीं कर सकते। हर हालत में विधि व्यवस्था के संधारण का और इन्वेस्टीगेशन के अनुसंधान का काम उसकी जिम्मेवारी अलग-अलग करनी पड़ेगी। अगर थाना में चार दारोगा जी हैं तो दो रहेंगे इन्वेस्टीगेशन में और दो रहेंगे लॉ एंड आर्डर में, अपना-अपना काम करेंगे। इससे लॉ एंड आर्डर भी ठीक रहेगा और अनुसंधान वाला कह देता है कि मौका नहीं मिला, यहां जाना पड़ा वहां जाना पड़ा। अरे, अनुसंधान कीजिए खाली, आइ0ओ0 वाला काम कीजिए इन्वेस्टीगेटिंग औफिसर रहकर। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको मोनीटर करता है, बार-बार जब डेट पड़ता है तो लोगों को देना पड़ता है आश्वासन, एफीडेविट और कानूनी प्रावधान भी है। हमने बिहार में शुरूआत भी करायी, हमने कहा कि ये नहीं चलेगा और इसके लिए गाइड लाइन बनाइये कि किस दारोगा जी को आप रखियेगा विधि व्यवस्था में और किनको रखियेगा अनुसंधान में और ये लिस्ट बनाइयेगा उसी तरह से थानों में पोस्टिंग होगी। दूसरी चीज हमारे बहुत जनप्रतिनिधि भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, थाना में रोज-रोज आयेदिन ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है। लोग शिकायत करते हैं कि एक एस0पी0 के जगह पर दूसरे एस0पी0 गये तो बड़ा भारी ट्रांसफर हो गया। अरे, भाई इसकी क्या आवश्यकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई आधार होना चाहिए। पुलिस एक्ट में तो प्रावधान किया हुआ है। ड्यूटी के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। आखिरकार यह अधिकार दिया गया है जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक को तो हमने पुलिस मुख्यालय को कहा है कि इसके लिए गाइड लाइन बनाइये, ये रोज-रोज का ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक नहीं है। एक बार हम खाद्य आपूर्ति का मामला देख रहे थे तो पता चला कि एस0डी0ाओ0 लोग पहुंचते ही पी0डी0एस0 के दूकान को सस्पेंड कर देते हैं। हमने कहा जरा देखिए, कितना बार सस्पेंड हुआ है, कब-कब सस्पेंड हुआ है। हर चीज को देखिये तह में जाना पड़ता है, हमने कहा है कि जिला स्तर पर यह अधिकार रहेगा, लेकिन ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है थानों का इसको भी युक्तिसंगत होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रशसनिक आधार पर होना चाहिए। एस0पी0 को हमेशा अधिकार है, अगर कोई कर्त्तव्य में लापरवाही बरत रहा है, किसी ने गलती की है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, संस्थागत व्यवस्था। दूसरी बात हर एस0पी0 को जाना है पुलिस लाइन में, पुलिस लाइन में जाना है बना हुआ है

नियम, सप्ताह में दो बार जाना है और एक बार परेड में भाग लेना है, सब है। हम बार-बार जब भी होता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमने साफ कह दिया है कि ये जो उनका रूटीन काम है वह हो रहा है या नहीं हो रहा है जिलों में, अगर पुलिस लाइन में नहीं जाइयेगा और कभी एकाध दिन दरबार लगाकर के पुलिस कर्मियों की छोटी मोटी समस्या को नहीं जानियेगा और उसका समाधान करने के लिए पहल नहीं कीजियंगा तो यह तो ठीक बात नहीं है। यह पहले से कानून में प्रावधान है, परंपरा है, सबकुछ है। इसलिए कहा है कि अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे इसका प्रतिवेदन तैयार हो और उनके उपर के अधिकारी इसको मोनीटर करेंगे डी0आी0जी0, आइ0जी0 और वे वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन जो सी0आर0 लिखाता है न, उसका आधार बनेगा, पुलिस अधीक्षक के मासिक कार्य विवरणी का यह आधार बनेगा कि क्या कर रहे थे, गये कि नहीं गये। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा तो इस प्रकार से पुलिस की व्यवस्था नीचे से उपर तक दुरूस्त होगी। सुरक्षा स्टेटस सिम्बोल नहीं होना चाहिए और कोई भी काम हो इसके लिए एक संस्थागत इंतजाम होना चाहिए। हमलोगों ये सारी बातें कहीं हैं।

इसके अलावे अब हमने महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। अब तो राज्य सरकार के सभी सेवाओं में है। हमलोगों के घोषित 7 निश्चय में एक पर अमल तो हो गया, लेकिन पुलिस कोन्स्टेबलरी में और सब इन्सपेक्टर के स्तर पर 35 प्रतिशत आरक्षण कुछ वर्ष पहले ही लागू कर दिया था। अब महिलाओं की संख्या पुलिस बल में बढ़ेगी। बिहार सबसे आगे है जान लीजिए। कहीं भी 35 प्रतिशत का आरक्षण नहीं है। अब महिलाएं आयेंगी उनके लिए थाना से लेकर के पुलिस लाइन में तो अलग इंतजाम होना ही चाहिए, थाना के स्तर पर भी महिलाओं के लिए बाथरूम, शौचालय सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कहा है कि इस काम को युद्ध स्तर पर कीजिए। जो थाना प्रभारी है मॉडल इस्टीमेट बनाकर उसको दे दीजिए कि स्थानीय व्यवस्था से, लोकल राजमिस्त्री, मिस्त्री रखकर तत्काल वे बनवा देंगे, पैसा दे दीजिए। महिला पुलिस कर्मियों को तो ये सब व्यवस्था एक-एक चीज पर नजर है। पुलिस लाइन कई जगह नहीं था, उनके जमीन आदि की समस्या का समाधान किया है। पुलिस वाले पीछे रहते हैं, हमने कहा है कि भाई, आपको बहुत जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है, ये जो सिविल हेलीकॉप्टर हमलोगों का है या भाड़े पर लेकर लेते हैं उनसे काम चलता नहीं है। उनका हेलीकॉप्टर अलग ढंग का होना चाहिए मोबिलीटी के लिए, हमने कहा है कि आप हेलीकॉप्टर लीजिए। सिविल वर्क के लिए अलग किस्म के हेलीकॉप्टर की जरूरत है, पुलिस के कार्यों के लिए अलग किस्म के हेलीकॉप्टर की जरूरत है। वह हेलीकॉप्टर लीजिए आप, राज्य सरकार पैसा खर्च करने को

तैयार है। होम गार्ड को ड्यूटी लगायी जाती है, इस काम को पूरे तौर पर कंप्यूटराइज किया जायेगा ताकि होमगार्ड के किस व्यक्ति को कितना ड्यूटी मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ड्यूटी ही नहीं मिल रही है और किसी को ड्यूटी पर ड्यूटी मिल रही है। इसलिए हर चीज को पारदर्शी बनाने के लिए यह सब व्यवस्था की जा रही है.....क्रमशः।

टर्न-18/27.2.16/
श्रीरमण/

श्री नीतीश कुमार : ...क्रमशः ...

तो पुलिस के स्तर पर यह सब सुधार लाने की कार्रवाई । और इसके अलावे हर मामले की भी समीक्षा की गयी, कहां क्या हो रहा है, कितने दिन तक क्या चलेगा, क्या हुआ, इतने दिन की प्रगति क्या हुई और एक बात बता देना चाहता हूं, लोग बार बार आरोप लगाते हैं । इनवेस्टिगेशन के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, न सरकार कर सकती है, न न्यायालय करता है । पुलिस का इनवेस्टिगेशन पुलिस के जिम्मे, क्राईम का इनवेस्टिगेशन । वो करते हैं, इनवेस्टिगेशन उनको करना है लेकिन अब जो लोक शिकायत निवारण कानून लागू होने जा रहा है मई से जिस पर हम आगे आयेंगे उसमें पुलिस संबंधी भी, अगर चार्जशीट 90 दिन में देना है या 60 दिन में देना है, दिया गया कि नहीं? केस हुआ है, क्रिमिनल बाहर घूम रहा है, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया । इन सबकी शिकायत कर सकते हैं और इसका जवाब देना पड़ेगा । तो ये सारा काम कर रहे हैं आप देखियेगा कुछ महीने के बाद पुलिस का स्वरूप और आपको बदला हुआ दीखेगा और पुलिस का काम और प्रभावकारी आपको दीखेगा । हम तो ये सब काम करते रहते हैं । इनलोगों का हो गया एक । एकाध घटना को लेकरके चिल्लाते रहते हैं । मेरे लिये तो कोई भी घटना घटे, हर घटना की तह तक पुलिस जाय, अनुसंधान करे, जो दोषी है उसको कानून के कठघरे में खड़ा करिये । पुलिस का दायित्व है, ये काम होगा । इनके लिये तो कोई घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, हमलोगों के लिये तो सब घटना महत्वपूर्ण है । लेकिन हां इतना जरूर है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकरके हमने कहा है पुलिस बल को भी, चाहे वह इंजीनियर की हत्या का मामला हो या रेप का मामला हो या और इस प्रकार से अन्य हत्याओं का मामला हो, एक एक मामले में वो देख रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं । मुझको तो भरोसा है कि अंततोगत्वा पुलिस कामयाब होगी और मैं सबसे कहूंगा कि पुलिस पर भरोसा करिये और अगर पुलिस पर भरोसा नहीं है तो आप उपाय बताइये । हम तो नहीं

बन सकते हैं पुलिस की जगह पर पुलिस सब इन्सपेक्टर, एस0पी0, डी0आई0जी0, आई0जी0 । सरकार में बैठा हुआ कोई आदमी तो नहीं बन सकता है । आप कहिये तो आपको बना दें स्पेशल सब इंस्पेक्टर बना दें । क्या बना दें बताइये ताकि आप तेजी से इनवेस्टिगेशन करके कल्प्रिट को पकड़ कर ले आइये अगर मालूम है तो बताइये । कल नेता विरोधी दल बोलते बोलते कह गये, एक विधायक जिन पर रेप का चार्ज है, कि खुले आम घूम रहे हैं । कहां खुले आम घूमते देखे हैं तो बताइये । अगर आपको मालूम है कि खुलेआम घूम रहे हैं तो आपको बताना चाहिये पुलिस को । सहयोग करना चाहिये कि आपने कहां खुले आम घूमते देखा । सहयोग करिये पुलिस को । पुलिस को सहयोग करना सबकी ड्यूटी है, सबका दायित्व है । नहीं तो फिर कुछ कहने लगियेगा । अगर पुलिसवाला जाकर आपसे पूछे कि जी आप बोले थे कि घूम रहा है तो कहां देखा गया है जरा बताया जाय तो ? इतने पूछने के लिये पुलिसवाला पहुंच जाय तो तुरत दो मिनट में हंगामा शुरू कर देंगे । हाऊस के अंदर जो मर्जी बोल रहे हैं, कहां घूम रहा है बताइये । अगर खुल करके नहीं बताना चाहते हैं तो फोन से ही बता दीजिये डी0जी0पी0 को कि कहां देखा आपने घूमते हुए उस विधायक को, बता दीजिये । अगर कार्रवाई न हो तो कल कहियेगा लेकिन बोलने के लिये तो कुछ भी बोल सकते हैं । पीड़ित के पिता मुझसे मिले थे, मेरा पुराना क्षेत्र है, सबको मालूम है और एक एक बात हमने सबको बुला दिया, डी0जी0पी0, आई0जी0, डी0आई0जी0, पटना के कमिश्नर, सबको सामने कहा बात सुनिये इनकी, अगर कोई बिंदु और बच गया है तो देखिये । किसी तरह का दबाव न पड़े । पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है । सब मामलों की चिंता है । एक एक मामले की चिंता है, हमलोगों को पता नहीं है कि किस चीज का असर कैसा पड़ता है ? हमलोगों को खुद कैसा प्रतीत होता है इसलिये यह बताने की जरूरत नहीं है लेकिन हां, कुछ अगर जानते हों तो हमको मत बताइये, हम तो पुलिसवाले हैं नहीं, लेकिन पुलिसवाले को ही बता दीजिये, डी0जी0पी0 को बता दीजिये, आई0जी0 को बता दीजिये, एस0पी0 को बता दीजिये, जिसको भी बताना हो बता दीजिये । कहियेगा कि नाम नहीं खोला जाय तो नाम नहीं खोला जायेगा लेकिन बता तो दीजिये । अगर कोई खुलेआम घूम रहा है तो बताइये । कितनी जगहों पर पुलिस कार्रवाई करने के लिये छापे मार रही है और जो महिला इनवोल्व्ड थी इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं, सबके साथ गिरफ्तारी हुई, मैंने पहले भी कहा कि कहां बच कर जायेगी । आखिर पुलिस की गिरफ्त में आयेंगे, कानून की गिरफ्त में आयेंगे और कानून अपना काम करेगा । धरती पर कोई रक्षा नहीं कर सकता है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी । इसलिये कानून और व्यवस्था और क्राईम । ये लोग हमको क्या बतायेंगे, मेरे साथ इतने दिन रह चुके हैं, किस प्रकार से हम काम करते रहे हैं ये परिचित हैं लेकिन कुछ बोलने के लिये बोलना है हो सकता है या ऊपर को खुश करने के लिये बोलते होंगे या जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिये बोलते होंगे । तो बोलने दीजिये इसलिये मैंने इन बातों का जिक्र आपके

सामने कर दिया ताकि मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालियेगा । कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, कानून के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा । अब बहुत तरह की बात ये लोग बोल रहे हैं । अभी तो अपनी बात हमको कहनी है अध्यक्ष महोदय । लेकिन एक दो बात उनका और कुछ कह दें, नहीं हैं लेकिन जान ही जायेंगे, कहीं बैठ कर सुन भी रहे होंगे ।

अध्यक्ष : वैसे भी आपकी बात का ध्यान रखते हैं ।

श्री नीतीश कुमार : अधिप्राप्ति की चिंता इनको हो रही है । धान की अधिप्राप्ति की चिंता इनको हो रही है । बड़ी चिंता हो रही है । 2015-16 में पैक्स और व्यापार मंडल द्वारा अभी तक धान की अधिप्राप्ति हुई है 6,85,517 मे0टन । पैक्स और व्यापार मंडल के द्वारा जो पिछले सीजन 2014-15 में पैक्स के द्वारा जो धान की अधिप्राप्ति हुई है उससे ज्यादा है । पिछले साल हुआ था 5,54,022 मे0टन इस समय तक । अभी हुआ है 6,85,517 मे0टन लेकिन हल्ला करने में क्या जाता है अधिप्राप्ति नहीं हो रही है, अधिप्राप्ति नहीं हो रही है । अधिप्राप्ति हो रही है । हां, पिछले बार और पहले राज्य खाद्य निगम के सेंटर के द्वारा भी होता था इस बार हमने डिस्करेज किया उसको चूंकि बहुत चीज हम जांच करवा रहे हैं, देख रहे हैं । राज्य खाद्य निगम जो है उससे अधिप्राप्ति न के बराबर हो रही है । अभी शायद 2119 मे0 टन हुआ है । पिछली बार उसके माध्यम से अधिप्राप्ति अच्छी खासी हुई थी 3,38,606 मे0 टन । इनको संभवत: 5 लाख मे0 टन का लक्ष्य दिया गया था और इतना हो गया था । व्यवस्था थी उसमें हुआ है लेकिन बहुत चीजें देखी जा रही हैं । हम तो चाहते हैं पैक्स मजबूत हो । जनता चुनती है, पैक्स के लिये वोट डालती है तो पैक्स के माध्यम से हो । पैक्स को हम वायेबल बनाना चाहते हैं । अगर स्थानीय स्तर पर उसमें तकलीफ हो तो धीरे धीरे सुधार आयेगा लेकिन निर्वाचित संस्था है उसके माध्यम से चाहते हैं कि खरीद हो ताकि वह संस्था मजबूत हो । जो खाद्य निगम को अभी तक चावल प्राप्त हो चुका है यानी धान की मिलिंग करके चावल प्राप्त हो गया है अबतक, वह है 1,47,326 मे0 टन जबकि पिछले बार इस समय तक चावल प्राप्त हुआ था राज्य खाद्य निगम को 1,25,767 मे0 टन । स्टेट फूड कारपोरेशन के पास सी0एम0आर0 यानी चावल मिल गया धान की कुटाई कराकर चावल मिल गया पिछले साल की तुलना में ज्यादा लेकिन अफवाह फैला रहे हैं अधिप्राप्ति नहीं हो रही है । अधिप्राप्ति हो रही है । पिछली बार के तजुर्बों को देखते हुए कुछ निर्णय लिये गये हैं कि 1 से 100 क्विंटल तक लिया जायेगा अधिक से अधिक । जरा आप ही बता दीजिये 100 क्विंटल से ज्यादा वाले अपने खाने के अलावे इतना पैदा करनेवाले कितने किसान हैं बिहार में । जरा जोड़ जाड़ कर आप बता दीजियेगा । जरा जोड़ियेगा, ज्यादातर लोग देहाती क्षेत्र से आते हैं । 100 क्विंटल तक एक आदमी से लेने का हमलोगों ने रखा है इस बार के नियम में । उसकी सीमा निर्धारित किया है । 100 क्विंटल से ज्यादा कितना किसान जिनके पास उससे अतिरिक्त है और सब किसान का तो

बैंक खाता खुला है, सीधे उनके बैंक खाता में ट्रांस्फर हो रहा है, 13-14 और 14-15 का बोनस का पैसा अभी जो हमलोगों ने बचा हुआ स्वीकृत किया है ।

...क्रमशः ...

टर्न-19/राजेश/27.2.16

श्री नीतीश कुमारः- वह किसान के लिए नहीं है, किसान को तो मिला हुआ है, वह पैसा किसान को पहले ही मिल चुका है,वह तो एस0एफ0सी0 को देने के लिए वह दिया गया है या जो भी कनसर्न एजेंसी थी, जिन्होंने इस मामले में खर्च किया था और जिनका पैसा पेंडिंग था,उनको दिया गया था,अब एक बात बड़ा बोलते रहते है ये लोग भाई, बड़ी चिंता है आज इनलोगों को किसानों की, तो एक बात जान लीजिये, केन्द्र सरकार से विगत वर्ष की अधिप्राप्ति धान के समतुल्य सी0एम0आर0 का जो हमने प्रोक्योर किया और जितना चावल एस0एफ0सी0 को दिया गया उसके समतुल्य 2058 करोड़ रुपये का भुगतान केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया, 2058 करोड़ रुपये का पिछले साल का भुगतान केन्द्र सरकार के द्वारा अब तक नहीं किया गया है, अरे कुछ तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिये और पैसा दिलवाइये, यह पैसा तो दिलवाइये और जो दावा है केन्द्र सरकार के पास वह लंबित है, वह कब तक लंबित रहेगा, चिंता तो बड़ी प्रकट करते हैं लेकिन कुछ इसकी भी चिंता करिये, जो देना है केन्द्र को वह पैसा क्यों नहीं मिल रहा है,यह कितना बड़ा बोझ है,यह सब चीज इतना पैसा फॅसा हुआ रहता है तो बाधा उत्पन्न होती है, कुछ तो मदद कीजिये,इन लोगों को जो मर्जी है वह बोलते रहते हैं, एक बात इनलोगों ने कहा टैक्स को ले करके, वैट बढ़ाने पर कह दिया कि साड़ी पर, कपड़ा पर टैक्स लगा, तो हमलोगों ने लगाया है किस पर, 500 रुपया मीटर से ज्यादा मॅहगा कपड़ा होगा उसपर, अच्छा इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊनी को छोड़ दीजिये, तो बाकी सूती में कौन सा कपड़ा है,यहॉ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, तो क्या 500 मीटर से ज्यादा का कपड़ा कोई पहने हुए है तो कौन सा कपड़ा है,उनकी पार्टी के लोग पहनते होंगे,हम नहीं जानते हैं,कौन सा गरीब आदमी, नहीं भाई हम जानते हैं, सभी को, नहीं पहनते होंगे,अब आप बताइये साहब, 500 रुपया प्रति मीटर से ज्यादा कौन पहनते होंगे,ऊनी का छोड़ दीजिये,उनी में तो होगा लेकिन सूती वगैरह जो आम तौर पर लोग पहनते हैं, वह कौन

सा कपड़ा पहनता है, माननीय सदस्य अशोक चौधरी जी भी नहीं पहनते होंगे, बी0जे0पी0 का हमला तो कॉग्रेस पर ही न होता है,अब दो हजार रुपये से अधिक कीमत की साड़ी,अब बताइये सामान्य परिवार में दो हजार रुपये से अधिक कीमत की साड़ी कहॉ पहनती है महिलाएँ, धनी परिवारों में भी तो हर हमेशा दो हजार रुपये से अधिक का साड़ी पहनता नहीं है, अरे यह तो सेरिमोनियल है, दो हजार रुपये से अधिक कीमत की साड़ी कौन पहनती है,अगर दो हजार रुपये से अधिक की साड़ी पहनती है, उतना खर्च करती है, उतनी शक्ति है, तो थोड़ा बहुत राज्य सरकार के कोष में दीजिये,दो हजार रुपये की साड़ी पहन सकती हैं,तो पॉच प्रतिशत का वैट नहीं दीजियेगा,यह कौन सी बड़ी बात है,यह तो कोई ज्यादा हुआ नहीं, तो इसके लिए इतना हाय-तौबा मचाया गया, अरे भाई टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है, वोट के जरिये सरकार बनती है, खूब हल्ला मचवाये, इतना बवेला मचवाये, बंद करवा दिये, तो कोई कपड़ा का दूकान बंद करके चाय बेच रहा है,तो चाय बेचना ठीक है, चाय बेचना कोई खराब काम थोड़े न है, चाय बेचना तो लाभदायक होता है, बेचिये या मत बेचिये, नाम शुमार करना तो लाभदायक ही है, तरह-तरह का बात हुआ, हमने कहा की टैक्स बढ़ाना घटाना राज्य सरकार का काम है,अगर गलत कर रहे है, तो फिर पॉच साल के बाद फैसला कर लीजियेगा, अभी तो जनता ने हमको काम करने का अवसर दिया है,तो हम टैक्स बढ़ा सकते हैं, केन्द्र सरकार ने कितना बार लगाया, पेट्रोल पर और डीजल पर, दुनिया में यह सस्ता हो गया, यहॉ काहे नहीं उतना दाम गिर रहा है, कितना बार लगाये हैं ये टैक्स, तरह-तरह का डियूटी और यह टैक्स का ही विभिन्न स्वरुप है, ये कितनी बार लगाये हैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी और यहॉ उनके पार्टी के लोग उपदेश दे रहे हैं,अरे यह तो मामूली चीज है,ये कहते हैं कि इन्सपेक्टर राज आ जायेगा,हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इन्सपेक्टर राज नहीं आने देंगे,नाहक आपको कोई तंग नहीं करेगा लेकिन अरे भाई पैसा चाहिए सरकार को,सबके काम के लिए पैसा चाहिए,अब लोग भेजा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से दरखास्त, तो इनलोगों के चक्कर में पड़कर हंगामा कर रहे थे, तो शुरु में आकर बताना चाहिए था प्रेम से, वैकल्पिक अगर कोई बात आपके मन में है, कोई व्यवस्था है, तो यह बताना चाहिए,लगा कि एक मिनट में कर देंगे, तो इतना जल्दी हमलोगों को उखाड़ दीजियेगा, कोई आपके कृपा से थोड़े आए हैं,हम तो जनता की कृपा से आए हैं,मत पूछिये ये लोग तो छाए हुए हैं ऐसा कि लगता है

हमलोगो को उखाड़ ही देंगे, तो इसलिए देखिये, किसी भी चीज के लिए, अब कहा कि मिठाई पर लग गया, 500 रुपये किलो से ज्यादा पर है,तो बताइये कि 500 रुपये किलो देकर कौन-कौन लोग मिठाई खाता है,क्या पर्व त्योहार पर 500 रुपये किलो लड़डू मिलता है, रसगुल्ला मिलता है,जलेबी मिलता है,रसमलाई मिलता है,अरे भाई 500 रुपये किलो से ज्यादा वह मिठाई बिकता है जो सेरिमोनियल है, 500 रुपये किलो से ज्यादा का मिठाई डिब्बा में बंद करके किसी को उपहार दे रहे हैं और अगर उसपर थोड़ा टैक्स लग रहा है, तो काहे का चिंता कर रहे हैं,उपहार दीजियेगा 800 रुपये किलो का मिठाई अपने प्रियजन को,उसमें थोड़ा सा टैक्स लग गया तो ये लोग चिल्ला रहे हैं,अरे भाई लड़डू पर, पेड़ा पर, रसगुल्ला पर,नहीं न है भाई, कहा कि सिंधाड़ा पर लगा दिया,तो कहा सिंघाड़ा पर लगाये हैं,बाजार पर जो सिंघाड़ा छन-छन कर बेचते रहता है, तो क्या उसपर लगा है,अरे भाई यह तो ब्रांडेड पर लगा है,कौन-कौन ब्रांडेड कंपनियॉं आ गयी हैं बताइये,भाई किसी का नाम हम क्यों लें लेकिन ये जो ब्रांडेड कंपनियॉं हैं,उसको सिंघाड़ा बनाने में उतना खर्च होता है जितना पैसा वह आपसे लेता है,तो ब्रांडेड कंपनी को पैसा देने की स्थिति में है और अगर उसपर थोड़ा सा राज्य सरकार टैक्स लगा दें तो चिंता हो रही है,अरे भाई पैसा है तब न, कौन है जो हलुवाई या दूसरे समाज के लोग दूकान चलाते रहते हैं मिठाई का, समोसा का, उसपर कोई टैक्स लगा है क्या लेकिन ऐसा हंगामा किये जैसे लग रहा है कि हमलोग सब चीज पर टैक्स लगा दिये,अरे भाई टैक्स का तो नेट बढ़ाना पड़ता है,ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे आमजन पर किसी प्रकार का असर पड़ा है, जिनके पास धन-संपत्ति है,कुछ पैसा है,वे टैक्स के रुप में कुछ स्पेयर कर सकते हैं,अगर वे बाजार में स्पेयर कर सकते हैं, तो वे थोड़ा सा सरकार के खाजाने में तो स्पेयर कीजिये और यही तो है लेकिन इन सब चीजों पर न जाने कितना हाय-तौबा मचाये, अब आप देख लीजिये,ये कहेंगे कि यह काम नहीं हुआ,वह काम नहीं हुआ, वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी है और यह सबको मालूम है ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो, तो आज के लिए सूचीबद्व कार्य निष्पादित होने तक सदन की अवधि विस्तारित कर दी जाय ।

मा0 सदस्यगण:- ठीक है ।

अध्यक्ष:- सदन की सहमति से सदन की अवधि विस्तारित की जाती है । माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार:- अब जो केन्द्र प्रायोजित योजना है,सबमें जो केन्द्र राशि देता था,अब उसके पैटर्न में बदलाव ला दिये। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,अब उसमें भी पहले केन्द्र सरकार पूरा पैसा देती थी, अब उसमें भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार दे, इंदिरा आवास योजना था 75 प्रतिशत केन्द्र, 25 प्रतिशत राज्य, अब उसमें कर दिया 60-40, तो इस प्रकार से अनेक चीजों में अब आपका सर्व शिक्षा अभियान में, मीड डे मिल, नेशनल हेल्थ मिशन, सब चीज में, अब ग्रामीण विद्युतीकरण का लीजिये, पहले यह राजीव गॉधी जी के नाम पर था, पहले की सरकार ने किया था राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण। योजना, उसमें 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अंशदान था, 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान था, अब राजीव गॉधी का नाम बदल करके रख दिया गया दिन दयाल उपाध्याय जी, तो उसमें केन्द्र ने कर दिया अपना हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य पर बोझ बढ़ा दिया 40 प्रतिशत ।

क्रमश:

टर्न - 20/कृष्ण/27.02.16

श्री नीतीश कुमार : (क्रमशः) सोच लीजिये । नाम बदल दिया और अपने हिस्से का पैसा घटा दिया । यही तो ये लोग काम करते हैं । नाम रखते दीन दयाल उपाध्याय ही, लेकिन पैटर्न तो वही रखते 90 और 10 का । इसलिए इनको क्या कीजियेगा ? यह सब अचानक जो यह जो पैटर्न है और इसमें जो बदलाव किया, इसके चलिते 2015-16 में 4,508.63 करोड़ का अतिरिक्त भार बिहार पर पड़ा और ये केन्द्र प्रायोजित योजना में केन्द्र और राज्य के अनुपात में बदलाव के क ारण 2016-17 में 5000 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त भार पड़नेवाला है । ये हमलोगों पर अतिरिक्त भार डालते चले जा रहे हैं हर चीज में । राज्यों का पैसा ज्यादा लगे । कहते हैं कि राज्य को पेसा है । 14वें वित्त आयोग का पैसा बढ़ गया । पैसा बढ़ गया 32 से 45 परसेंट जरूर लेकिन यह सब बोझ तो बढ़ा दिये । केन्द्र सरकार योजना मद में पैसा देती थी वह भी तो घटा दिये । अब कह दिये कि सब यही पैसा है । तो हमने बताया है जोड़ कर हिसाब और कल के बजट भाषण में भी है और राज्यपाल महोदयय के अभिभाषण में भी है । ये पूरे प्रक्रिया से हमलोगों को 5 सालों में 45 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान होनेवाला है । ये कहेंगे कि पैसा दे रहे हैं । पैसा दे रहे हैं तो पॉकेट से पैसा दे रहे हैं ? देश की जनता जो टैक्स देती है, उसका बंटवारा होता है, यह तो संवैधानिक व्यवस्था है । यह आपका पैसा नहीं है । लेकिन केन्द्र और राज्य सब का पैसा है, राज्य का पैसा हड़प रहे है, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं । यही हो रहा है। राज्यों को दूसरे मद से जो पैसा मिलता था, उसको या तो बंद कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं । चुनाव के समय पैकेज की घोषणा हुई और बी0आर0जी0एफ0 के रास्ते से बिहार को जो विशेष सहायता मिलती थी, बिहार कक पुनर्गठन के बाद, झारखंड के बनने के बाद वह पैसा भी नहीं दिया । अभी हम गये थे वित्त मंत्री जी सं मिलने तब 1700 करोड़ के करीब इस साल का रीलीज हुआ । हमने कहा कि अगले बार हमारा जो बचा हुआ है करीब 6 हजार करोड़, वह दे दीजिये । क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिये हैं । अगले साल तक नहीं दीजियेगा तो वह खत्म हो गया । योजना स्वीकृत है योजना संबंधी, बिजली संबंधी और पैसा रीलीज नहीं कर रहे हैं । पैकेज में कह दिया कि 8300 करोड़ रूपया रीलीज करेंगे । कब रीलीज कीजियेगा ? देखना है । 29 तारीख को बजट है । इसलिए गौर से सुनना चाहते हैं कि दिये कि नहीं दिये । पैकेज का एलान किये हैं 1 लाख 25 हजार करोड़ और उसके बाद 40 हजार करोड़, इसका क्या कर रहे हैं? उसका कुछ पैसा कहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं । हमलोग देखेंगे, देखना चाहते हैं , जरूर सुनना चाहते हैं और सुनन के बाद, पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया करेंगे और बिहार की जनता को बतायेंगे कि चुनाव के समय क्या कहा गया । हमने तो पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि प्रधान मंत्री का पैकेज है, वह राज्य के हित में है, मैंने पिछली बार भी धन्यवाद दिया,ि फर धन्यवाद देंगे पैसा तो दीजिये । काम तो करवाईये आप ही को कराना है ।

बी0जी0आर0एफ0 का पैसा को छोड़ करके राज्य को मिलना है, बाकी पैकेज का काम आप ही को करना है । तो कराईये । नेशनल हाई-वे का काम वह क्यों नहीं करा रहे हैं जिसका बड़ा एलान किये । बाकी दूसरे काम भी क्यों नहीं प्रारंभ कर रहे हैं जिसके बारे में आपने एलान यिा । उस समय सब मंत्री आ करके रोज एलान करते थे । आज कल केन्द्र के मंत्री कहेंगे क्या, कल भी भाषण दे रहे थे कि जमीन नहीं उपलब्ध करा रहे हैं । जमीन हमलोगों के पॉकेट में है जो उपलब्ध करा दें । ऐसा कीजिये एक फैसला कर लीजिये । जमीन का पैसा आप दे दीजिये और योजना के मद में आप जो पैसा देना चाह रहे हैं, वह रख लीजिये, हमलोंग दे देंगे । बड़ी आसानी से लोगों के सामने एलान करते हैं । हम कहानी सुनाते हैं । जब हम एम0पी0 थे तो एक एम0एल0ए0 थे, हमारे फतुहां क्षेत्र का, बाद में वह डिसक्वालीफाई हो गयें । गलत सर्टिफिकेट दिये थे अनुसूचित जाति वाला । क्या किये हुये थे मेरे क्षेत्र में, हम गये वहां, हम तो एम पी थे ओर उस समय केन्द्र में मंत्री भी थे । वहां गये थे तो गांव वाले कहने लगे कि विधायक जी ने मिट्टी का काम करवा दिया है, आप पक्कीकरण करवा दीजिये । हम बड़ी जोर से हंसे । हमने कहा ऐसा करिये कि विधायक जी को मिट्टी के काम में इतना पैसा लगा उतना हम दे देंगे अपने फंड से, उन्हीं को कहिये पक्की करण कराने को । मिट्टी का काम करायें 10 परसेंट में और पक्की में लगेगा 90 परसेंट । वही केन्द्र सरकार कहती है कि जमीन दे दीजिये । प्रोजेक्ट में कितना पैसा ? जमीन खरीदिये । ऐसी बात करेंगे, अपनी मर्जी से कह देंगे केन्द्रीय विद्यालय को जमीन नहीं दिया । केन्द्रीय वि्यालय में बिहार का कितना लड़का पढ़ेगा और जब वे साथ थे तब का वह फैसला है । जब हम बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे तब का फैसला है कि कन्द्रीय विद्यालय में हम जमीन क्यों दें जब कि बिहार के लड़के नहीं पढ़ेगें । आज फिर कह रहे हैं केन्द्रीय विद्यालय को जमीन नहीं दिया । उस समय क्या लग गया था आपको ? जब यह फैसला हो रहा था, उस समय चुप क्यों थे ? क्यों नहीं कहा कि केन्द्रीय विद्यालय को जमीन दीजिये । रोज-रोज कोई एक मंत्री आवेंगे और कहेंगे कि यहां जमीन दे दीजिये, जमीन कहां से दे दें ? एयर पोर्ट बनाने की बात करेंगे । राज्य सरकार जमीन दे । डेढ ़हजार एकड़ राज्य सरकार जमीन दे । पटना के बगल में मालूम है कितना पैसा लगेगा ? अब तो चार गुणा देना है । तो जोड़ लीजियेगा हिसाब-किताब । 40 हजार करोड़ से कम नहीं लगेगा । जमीन का पेसा दे दीजिये, एयर पोर्ट बनाने में हम राज्य सरकार से पैसा दे देंगे । लोग किसी चीज को ध्यान से किसी चीज को सोचते नहीं हैं ,गौर नहीं करते हैं और इसी का फायदा लोग उठाते हैं ।

जब विशेष पैकेज का एलान किया तो हम कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि कमिटी बनाकर उसकी समीक्षा तो करते रहेगी सदन की कमिटी । देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोंषणा की है । उसमें सब पार्टी के लोग रहें । जनता को जानकारी तो मिलती रहेगी कि इस पैकेज का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ कितना नहीं हुआ ? जानकारी

मिलती रहेगी । विधान सभा की सर्वदलीय समिति होगी । उसकी रिपोर्ट आती रहेगी । जनता के बीच में वह औथेन्टिक रहेगा । हमलोगों बोलेंगे तो कहेंगे कि विरोधी है, इसलिए बोल रहे हैं और सदन की कमिटी बोलेगी तो सब को पता चलेगा । इसे जरा बोलिये, कुछ क्लीअर किया जाय अध्य्रक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को रीट्रेट करता हूं, दोहराता हूं । तो इसलिए अब आप सुन लीजिये । तो यह बिहार के साथ कोई न्याय नहीं हुआ और इस मसले पर कल काफी कुछ बजट के दस्तावेज में काफी कुछ कहा गया है और आगे जो बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद उत्तर में खुद मंत्री जी बोलेंगे । आवश्यकता पड़ेगी तो और कुछ बात रख दी जायेगी सदन के समक्ष । हमें तो केन्द्र का सहयोग चाहिए । हम तो भरोसा रखते हैं । आप को-ऑपरेटीव फेडरलिज्म की बात करते हैं, उसका अक्षरशः पालन कीजिये । यह नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे पार्टी की सरकार है तो उसके साथ हम असहयोग करें और इनको परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, हमको सहयोग करते हैं कि नहीं ? चुनाव के बाद कह दिया कि पैकेज का एलान यथावत रहेगा । अब पैकेज ही नहीं, भाजपा के लोगों ने विशेष राज्य दर्जा की भी बात कही थी । हम घुम-घुम कर के पूरे बिहार में सुना चुके हैं । यहां तो हम सुना नहीं सकते हैं । यहां का नियम इजाजत नहीं देता है । नहीं तो यहां भी हम सुना देते । सुन लीजिये । क्या-क्या बोले हैं ? विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिये, विशेष राज्य का दर्जा दीजियेगा तो केन्द्रीय कर कई सालो तक नहीं देना पड़ेगा । लोग पूंजी का निवेश करेंगे । यहां भी ओर ज्यादा कल-कारखाने खुलेंगे । औद्योगिक प्रोत्साहन की बात हमलोग करते हैं । हम से जो संभव है, कर रहे हैं । 2016 में हम नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लानेवाले हैं । उस पर काम चल रहा है । हमलोग अपनी तरफ से तो प्रयास कर लें । लेकिन जब तक केन्द्र का रवैया अनुकूल नहीं होगा, तब तक यहां कोई बड़ा निवेश होगा, इसकी संभावना कम है । आप दोषारोपण करने के लिये स्वतंत्र है, साढ़े सात साल तो साथ ही थे । क्यों नहीं आ गया था पूंजी का निवेश । क्यों नहीं आ गया था जो आज आ जायेगा । हर चीज को जंगल राज का हवाला देते हैं । बड़ा जंगल राज, जंगल राज बोलते हैं और यह पटियाला कोर्ट में जिस तरह से हमला किया गया, पेशी के लिये ले जा या जा रहा था, ज0एन0य0 छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को,,वह तो मंगल राज था न ? उसका सारा वीडीओ आया है, जिसमें लोग खुलेआम बोल रहा है।

क्रमश :

श्री नीतीश कुमार(क्रमशः):कि हम तो अंदर जाना चाहते हैं उसके सेल में जाकर पीटना चाहते हैं और यहां आकर के रोज रोज बोलेंगे । क्राईम ग्राफ पूरे बिहार में, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, दिल्ली के लॉ एंड आर्डर और अपराध पर नियंत्रण का काम केन्द्र सरकार का है और अपराध के हर क्षेत्र में दिल्ली अव्वल है देश भर में । लोगों को उपदेश देंगे ? इनलोगों द्वारा शासित राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति है यहां हर पैमाने पर, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण देश में निर्मित करने की ये कोशिश कर रहे हैं, असहिष्णुता का वातावरण ।क्या किया साहब जीत कर के तो आये, बहुत नारे देकर, सबका साथ सबका विकास । तरह तरह की बातें कही गयीं लेकिन जीत कर के आने के बाद सबसे पहला अभियान क्या चला, लव जेहाद। 2014 में ही लव जेहाद चल गया और उसके बाद जब दिल्ली में विधान-सभा का चुनाव होने वाला था तो उसके पहले क्या चला, घर वापसी और उसके बाद जब बिहार का चुनाव आने वाला था उसके पहले क्या हुआ, गौमांस और आजकल देशभक्ति की बात कर रहे हैं। इनसे किसी को देश भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ का मूल श्रोत क्या है- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। बतायें देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था? आज कहते हैं तिरंगा लहरायेंगे, अरे तिरंगा तो सब लहरा सकता है, तिरंगा लहराना कौन खास बात है लेकिन वो तिरंगा बनाने में आपकी क्या भूमिका है महोदय। जो तिरंगा देश में आया, देश इस लायक बना, देश आजाद हुआ, उसमें आपकी क्या भूमिका है, आप किसको बतला रहे हैं। उस तिरंगे के लिए कोई कुर्बानी नहीं और आज वही तिरंगा लहरायेंगे और दूसरे को कह रहे हैं देशद्रोही। कमाल है, ये इसी प्रकार के दुष्प्रचार में जो हमने कहा लव जेहाद, घर वापसी, बीफ, गौमांस और आजकल चल रहा है देश भक्ति । इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए किसी को? क्या हुआ हैदराबाद में? माला चढ़ाते हैं अम्बेदकर जी को,आजकल रविदास जयंती मना रहे हैं। हमलोग से भीड़ गये थे कपूर्री जी की जयंती मनाने के लिए। हमने कहा हमहीं को कह देते कृष्ण मेमोरियल हॉल छोड़ देते चूंकि हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है जिन कपूर्री ठाकुर जी की सरकार को जब उन्होंने राज्य में आरक्षण लागू किया था तब गिरवाने में महती भूमिका निभायी थी इनलोगों ने और आज कपूर्री जी की जयंती मना रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ, इनका हृदय परिवर्त्तन हुआ, बड़ी ही बढ़िया बात है कम से कम कपूर्री जी को मानने पर मजबूर तो हो गये ये । ये उनकी वैचारिक हार है। हमको तो बहुत खुशी हुई कि बड़ा अच्छा है मनाईए। अम्बेदकर जी को माला चढ़ा रहे हैं, रविदास जयंती मना रहे

हैं और हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कौन है रोहित वेमुला जिनको आत्म हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया। एक दलित छात्र को प्रताड़ित किया गया। प्रतिभाशाली छात्र को प्रताड़ित किया गया। उसको पढ़ने से रोका गया और आप अम्बेदकर साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं। आप संविधान दिवस मनाईयेगा तो सब मालूम हो गया भागवत जी जो आर0एस0एस0 के प्रमुख है आदरणीय भागवत जी, चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और फिर कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अरे इनका वस चलेगा तो ये जो अनुसूचित जाति जन जाति और पिछड़ों को आरक्षण मिला है उसको समाप्त कर देंगे। अम्बेदकर साहब की बात करते हैं और उनके बनाये संविधान से अलग एक कमिटी बनाकर आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं। कौन है यह कमिटी? एक्सट्रा कंस्टीच्यूशल ऑथोरिटी की ये बात कर रहे हैं ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा और रोहित वेमुला पर तरह तरह की बात पहले कहा दलित नहीं, क्या क्या नहीं प्रचार किया गया और अभी संसद में जो बात सामने आयी तो उसके बारे में कह दिया गया भई मंत्री पद पर बैठे हुए लोगों को तो जिम्मेवार होना चाहिए। कह दिया कि वो जब आत्म हत्या किया उसके पास डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया तो पुलिस नहीं पहुंची। लड़के की माँ ने सबको बता दिया, खंडन किया, कहा गलत है,डॉक्टर भी थी पुलिस भी थी लेकिन ये बात कही जाती है और जो इस तरह का भाषण दे, उसकी प्रशंसा में प्रधानमंत्री जी लिखते हैं बहुत अच्छा भाषण दिया यानी असत्य का सहारा लेकर जो बात कही गयी उसकी तारीफ की गयी। एक-एक चीज इनका झूठी। कन्हैया कुमार को फंसाने के लिए वीडियो को डॉक्टर किया गया समाचार चैनलों ने ही बता दिया दिखाकर के फौरेंसिक के एक्सपर्ट को बुलाकर के तो इस प्रकार से लोगों को फंसाना राष्ट्रवाद नहीं, इनका राष्ट्रवाद है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघवाद । जिसको आर0एस0एस0 के विचारधारा पर यकीन नहीं है उनको ये देशद्रोही मानते हैं । और क्या है फास्जिम हिटलर का फास्जिम क्या था? कहां देश को ले जाना चाहते हैं। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश को तोड़ने की कोशिश सब जगह लोगों को लड़ाने की कोशिश कहीं जातीय भावना भड़कायेंगे और उसके बाद सब के बीच में इस तरह का दुष्प्रचार करेंगे। हमलोगों को भी मालूम है इस बिहार के चुनाव में क्या किया था। चुनाव का प्रचार जब बंद हो जाता था उसके बाद गाय को सजाकर के माला वगैरह पहना कर के टीका कर के घुमाया जाता था। सब कर्म कर लिया । मेरे बारे में तो छप गया था मेरा मिनट टू मिनट प्रोग्राम 10 बजे हम क्या करेंगे, 8 नवम्बर को 12 बजे हम क्या करेंगे और 2 बजे मुख्यमंत्री जी की सरकारी गाड़ी में आखिरी तौर पर बैठकर राजभवन जायेंगे। क्या नहीं किया साहब। मेरा डी0एन0ए0 गड़बड़ है, राष्ट्रीय जनता

दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के बारे में क्या कहा सब के बारे में क्या कहा। कांग्रेस के बारे में तो कहते ही रहते हैं सब के बारे में सब कुछ कहा गया कुछ भी काम नहीं आया। जे0एन0यू0 के प्रकरण पर हो रहा है महिषासुर। अरे महिषासुर का जो फंक्शन हो रहा था तो उसमें तो आप ही के पार्टी के एम0पी0 हैं अभी श्री उदित राज जी भी मौजूद थे। अब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में उस समय नहीं थे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप बतलाईए उस सिलसिले में जो पता चला है, समाचार पत्रों में छपा है, खबर आयी है निंदा वर्जित है। उनके बारे में न कोई रिपोर्ट करता है चूंकि अलग-अलग मान्यता है लोगों की। कोई भी जो देवी देवता मानते हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। पढ़ रहे थे तो वो तो खैर संसद की चीज है मैं उसमें कहां पड़ूँ लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। असत्य का, अफवाह का सहारा लेकर इस देश को बांटना चाहते हैं इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह विफल हो चुकी है केन्द्र सरकार। बैंकों की हालत खराब है कल इकोनोमिक सर्वे आया है ये दावा कर रहे हैं ग्रोथ रेंट 7.5 प्रतिशत। दरअसल अभी समझ लीजिये एक होता है एक होता है नोमिनल ग्रोथ और दूसरा होता है रियल ग्रोथ। ये नोमिनल ग्रोथ की बात करते है रियल ग्रोथ बतलाईए। रूपये की कीमत घट गयी है उसका आकलन करके बतलाईए न कि सही में ग्रोथ रेट क्या है? आज जो दावा कर रहे हैं 7.5 प्रतिशत का, वो रियल ग्रोथ देखियेगा तो यह बहुत नीचे होगा। कई साथियों की मान्यता है कि ये बिल्कुल कहीं 4 के आसपास न हो लेकिन अपना पैमाना बदल देते हैं, आंकड़ों के भ्रमजाल में लोगों को जिलाना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग देखता नहीं है कि नोमिनल ग्रोथ क्या है, रियल ग्रोथ क्या है? इसको बिना देखे अपना बोलते रहता है जो बोल दिया एक बार 7.5 तो ये सब लोग अपना ढोल बजाते रहेंगे। 7.5 ग्रोथ रेट है नहीं,बुरा हाल है फिर किस चीज में तरक्की हो रही है,कहां बेहतरी आ रही है तो हर मोर्चे पर ये विफल हैं इसलिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं(क्रमश:)

श्री नीतीश कुमार : ...क्रमशः... एक चीज हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं ब्रिटेन के, जो टौनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी जुड़े हुये थे – लैन्स प्राइस । 2014 के चुनाव के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी – मोदी इफेक्ट । अब आज आपको मालूम है कि अभी उन्होंने क्या लिखा ? जो आदमी लिखा किताब– मोदी इफेक्ट कि मोदी जी का क्या प्रभाव पड़ा 2014 में । अब वह लिख रहा है कि उस समय तो मोदी इफेक्ट था, अब वे देश के प्रधानमंत्री थे । हमने उस समय भी कहा था, हर मीटिंग में कहा था कि सरकार बना लेना आसान है लेकिन देश चलाना कठिन है । सरकार बनाने के लिए जो बात ये करते रहे, वही बात आज भी कर रहे हैं । उस समय तो इस लेखक ने लिखा– मोदी इफेक्ट, अब हो गया है वही मोदी डिफेक्ट । अब वे फिर किताब लिख रहे हैं । यह ओपेन मैगजीन है, 25 फरवरी को लेख लिखा, इसमें लिखते हैं कि मोदी इफेक्ट हैज बीकेम मोदी डिफेक्ट । कोट–अनकोट । यह उन्हीं का लिखा हुआ है, 25 फरवरी को ओपेन मैगजीन में छपा । तो समझ लीजिये कि मोदी इफेक्ट अब मोदी डिफेक्ट में परिणत हो गया है, लाख कोशिश करिये । अब काम कीजिये, काम करना होगा, कालाधन वापस लाना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, देश की तरक्की करनी होगी, सबका साथ लेना होगा.... (व्यवधान) 15 से 20 लाख, क्यों कंजूसी कर रहे हैं ? हम तो पूरे बिहार में घूम–घूमकर भाषण सुना दिये हैं – 15 से 20 लाख हर गरीब को मुफ्त में यों ही मिल जायेगा । कहॉ गया भाई ? लोग अपना एकाउंट देखता है कि कभी तो आ जाय, जन–धन खाता खुला है, हर गरीब रोज देखता है कि 15 से 20 लाख रूपया कब आयेगा, आया कि नहीं आया । काम कीजिये, बात करने से काम नहीं चलेगा । ये सब लोग सिर्फ बात करते हैं, काम तो कीजिये । पूरा का पूरा रेल बजट बात है, काम नहीं है, बात है उसमें । अब 29 तारीख को तो जेनरल बजट देखेंगे, उसके बाद कुछ कह सकेंगे । काम कीजिये, मौका है । अभी दो ही साल बीता है, दो साल और है क्योंकि अंतिम साल तो खाली राजनीति होगा । दो साल बचा है । छोड़िये यह देश को और सबको बॉटने वाली कोशिश ।

देश के लोगों ने जो आपको वोट दिया, जिन लोगों ने वोट दिया, हर बार आप इस तरह का विवाद चलाते हैं और असहिष्णुता का माहौल पैदा करते हैं, चाहे लव जेहाद कहिये, घर वापसी कहिये, गोमांस का मुद्दा उठाइये, जे0एन0यू0 का प्रकरण उठता है, हैदराबाद का रोहित वेमुला के आत्महत्या का प्रकरण आता है, आपके समर्थकों की संख्या घटती जा रही है । जो जोर–शोर से आपके पक्ष में बोलते थे, अब वह आपके प्रति अपनी राय बदलने लगे हैं । वक्त है, चेत जाइये । विभाजन की राजनीति को छोड़िये, सबका साथ लेकर चलने की कोशिश करिये और बिहार जैसे गरीब राज्य

के उद्धार के लिए, जो कहे हैं उसको कीजिये । पैकेज दीजिये, विशेष राज्य का दर्जा दीजिये । हमलोगों को बिहार की जनता ने मौका दिया है काम करने का, हम काम करेंगे। जो हमलोगों ने सात निश्चय की बात की, आज लगभग एक-दो योजना को छोड़कर सबको कैबिनेट की मंजूरी, बजट के दस्तावेज में उसको जगह मिल गई, उसको आवंटन दिया जा रहा है, हेड खोला जा रहा है, बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है अनुश्रवण के लिए । हम इनोवेटिव आइडियाज को अपनायेंगे, नये उपाय, नये तौर-तरीकों से कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो सके, उस राह को अपनायेंगे । इस तरह से हर घर को नल का पानी उपलब्ध करायेंगे, हर घर को शौचालय मिले, हर गॉव की नाली और गली का पक्कीकरण हो, हर घर को बिजली कनेक्शन दे दें । यह सब काम करेंगे । युवाओं के लिए, जो छात्र हमारे पढ़ना चाहते हैं, 12वीं कक्षा के आगे उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे । हमारे यहॉ 12वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाले लोगों की संख्या मात्र 13 प्रतिशत है, युवाओं की, छात्रों की, छात्राओं की । उसको ग्रौस इनरॉलमेंट रेशियो कहते हैं, हमारे बिहार का सबसे कम है- 13 प्रतिशत । हमारा लक्ष्य है इसको 50 प्रतिशत से आगे बढ़ायेंगे। एक यूनिवर्सल स्कीम हम लागू कर रहे हैं, चाहे एस0सी0/एस0टी0 का हो, ई0बी0सी0 का हो, ओ0बी0सी0 का हो, महिला हो, मुस्लिम हो, सामान्य वर्ग के लोग हों, अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, कोई हों, हर छात्र-छात्रा को 12वीं कक्षा से आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रूपये तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायेंगे । जेनरल पढ़िये, इंजीनियरिंग पढ़िये, मेडिकल पढ़िये, मैनेजमेंट पढ़िये, कोई पढ़ाई पढ़िये लेकिन पढ़िये । पढ़ने के लिए सहायता के तौर पर एक प्रकार की स्कीम बिहार में चलेगी- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम । जो हुनरमंद होना चाहते हैं उनके लिए कौशल विकास केन्द्र, हमलोग चाहते हैं कि 12वीं कक्षा के बाद वाले युवा, उनको एक बुनियादी स्किल के तौर पर हमने रखा है । कम्युनिकेशन स्किल - कहने का मतलब कि अंग्रेजी-हिन्दी ठीक तरह से आप बोल लीजिये अपना काम करने के लिए और आपको कम्प्यूटर पर काम करना आ जाय। इसके अलावे इन सब चीजों में जिनकी रूचि नहीं है, रोजगार तलाश रहे हैं, उनको 20 से 25 साल के आयु वर्ग के बीच में दो साल के लिए हर महीने एक हजार रूपये का स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा । यह सब काम हो रहा है । मुफ्त वाई-फाई की सुविधा हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, 5 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर सबडिवीजन में आई0टी0आई0, हर जिले में महिला आई0टी0आई0, नर्सिंग कॉलेज हर मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग स्कूल ए0एन0एम0 का, जी0एन0एम0 का, पारा-मेडिकल स्टाफ के लिए, हर प्रकार की पढ़ाई के लिए संस्थानों को खोलना और निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना कि वे भी खोलें । यह सब हमलोगों का लक्ष्य है । यह काम हमलोगों को करना है और यही है हमलोगों का

निश्चय । इस निश्चय पर अमल करने के लिए सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, शुरू कर दिया गया है ।

पहले से जो हमारा काम चल रहा है, चाहे कृषि रोड मैप का हो, मानव विकास मिशन का हो या अन्य कोई भी स्कीम हो, चाहे वह हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, आधारभूत संरचना के विकास का हो, पथ निर्माण का हो, । हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि बिहार के सुदूर इलाके से पटना शहर पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे । उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है । अब अगला लक्ष्य है कि अधिकतम समय 5 घंटा लगे । उसके लिए काम कर रहे हैं । तो हर क्षेत्र में काम - बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, सड़क हो, पेयजल हो, सबके लिए हमलोग काम कर रहे हैं । उसी में हमारा विश्वास है । शहर स्मार्ट बना रहे थे, मालूम है - 100 करोड़ प्रतिवर्ष यानी 500 करोड़ पाँच साल में देकर शहर को स्मार्ट बना देंगे ! भाई, बोलने में बड़े माहिर हैं । उसमें भी राज्य की राजधानी को छोड़ दिया, बिहार का तो खैर हर शहर को छोड़ दिया, अपना पैमाना, अपना मापदंड इनका । लेकिन हमलोग तो नगर के विकास के लिए भी सब कुछ काम जो गाँव के लिए कहा, वह नगर में भी करेंगे । वहाँ भी नाली का निर्माण, गली का निर्माण, हर घर में पेयजल की सुविधा, हर घर तक बिजली का कनेक्शन, हर घर में शौचालय । यह शहर हो या गाँव, सबके लिए यह करना चाहते हैं। यह तो हमारा विकास का काम है ।

प्रशासनिक सुधार के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम पिछले हाऊस ने पारित किया था, अब उसका क्रियान्वयन होने जा रहा है, नियमावली बन रही है । लोक शिकायत निवारण केन्द्र होगा, हर प्रकार की शिकायत आप कर सकेंगे और आपके शिकायत का निराकरण होगा । यह पहला राज्य बनेगा जिसमें सिर्फ शिकायत पर सुनवाई होने की व्यवस्था नहीं, उनके निदान की भी व्यवस्था होगी ।

यही नहीं, हमने तो चुनाव के पहले एक बार कह दिया, महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी करिये, हमने कहा कि अगली बार सरकार में आयेंगे तो बंद कर देंगे । आये और निर्णय ले लिया, अब 01 अप्रील से बंद हो रहा है । पूर्ण शराबबंदी का लक्ष्य है, चरणबद्ध ढंग से लागू होगा । पहले ग्रामीण क्षेत्रों में देशी और विदेशी शराब बंद, हर तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं । अभी तो नगर निगम और नगर परिषद् वाले क्षेत्रों में ही, शहरी क्षेत्र में सिर्फ विदेशी शराब, आई0एम0एफ0एल0 शराब मिलेगी लेकिन वह भी कालांतर में बंद होगा । ...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार : (क्रमशः) लेकिन वह भी कालान्तर में बन्द होगा । हम एक वातावरण बनाना चाहते हैं और इसके लिए अभियान चल रहा है और अभियान बड़े पैमाने पर चलेगा । मैं सबसे अपील करूँगा कि शराब बुरी चीज है, इसको छोड़िए तो हर प्रकार का काम हम कर रहे हैं वर्तमान सत्र में ही, अगर शराब अवैध ढंग से पीकर लोग मरते हैं, वैसी स्थिति में उस प्रकार के शराब बनाने वालों पर जो कार्रवाई का प्रावधान है, उसको और कड़ा किया जायेगा । मृत्यु दंड की सजा देने का प्रावधान करेंगे, हमलोग लायेंगे प्रस्ताव इसी सदन में चलते सत्र में, जब राजकीय विधेयक आयेगा । पूरी तैयारी है, हमको मालूम है, जैसे हमलोग तैयारी कर रहे हैं, वैसे गड़बड़ करने वाला भी तैयारी कर रहा है । लेकिन महिलाओं की मांग पर आज नारी शक्ति जागृत है, पुरूषों का भी अधिकांश लोगों का विशाल बहुमत इसके पक्ष में है, सबके सहयोग से इसको बन्द करायेंगे और इसके लिए भी हमलोग मोनेटेरिंग के लिए यहां एक्साईज डिपार्टमेंट में 10–15 फोन का व्यवस्था करवा रहे हैं । कहीं कोई गड़बड़ भट्ठी चला रहा है, कुछ कर रहा है तुरंत फोन कर दीजिए और यही से सूचना चली जायेगी और तत्काल कार्रवाई होगी तो इस प्रकार का काम हो रहा है। महिलाओं का इसमें पूरा सहयोग है, समाज के हर तबके का इसमें पूरा सहयोग मिलना चाहिए ताकि बिहार में शराबबंदी लागू हो । बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, यह हो पायेगा, तरह–तरह की बात करते हैं । हमलोग तो कोशिश कर रहे हैं, आप काहे के लिए बोल रहे हैं, आप भी इसमें लग जाईए न । हो क्यों नहीं जायेगा, ऐसा कौन काम है, इच्छाशक्ति अगर है तो मुश्किल काम भी आसान हो जायेगा । पहले से ही घबराये रहियेगा तो कोई काम ही नहीं कर पाईयेगा । हम घबराने वाले नहीं हैं, हम दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इस काम को लागू कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, वह अच्छा काम है और अच्छे काम में शक्ति अपने आप होती है । इसलिए यह सब काम होगा और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन सब बातों की चर्चा है और इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर आगे बढ़ायेंगे, उसमें देखिए आप सब लोगों की महती भूमिका है । अब आपके क्षेत्र में ही सब काम होना है, घर–घर नल का पानी पहुँच जायेगा, गली–नाली–बिजली सबका प्रबंध हो रहा है तो योजना विभाग को हमने कहा है कि जो विधायक लोगों के अनुशंसा पर काम होता है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से, उसमें कौन–कौन सी स्कीम ली जानी चाहिए ताकि दो श्रोत से एक ही जगह पैसा न जाय, वह पैसे की बर्बादी होगी क्योंकि हमलोग तो सबको लेकर उस चीज को कर ही रहे हैं । जो काम इससे होने वाला है, उसके अलावे । एक चापाकल का था, पहले से योजना चल रही थी, तब जब हम घर में नल का

पानी नहीं दे रहे थे, अब तो चापाकल की क्या जरूरत है लेकिन हां इतना तय है कि जिसका टेंडर निकल गया, मैंने कहा दिया है कि भाई टेंडर वगैरह निकल गया है 2015-16 का तो उसको पूरा करने दीजिए लेकिन इसके बाद जो नहीं निकला है, आप भी जानते हैं, बजट पेश किये हैं वित्त मंत्री जी, पास आप ही करियेगा, आपकी भी जवाबदेही है, खाली हमारी जवाबदेही नहीं है । पैसा कहां से आयेगा, जनहित का काम है, बड़ा काम है, इस काम को पूरा करने के लिए पैसों का सही ढंग से सदुपयोग हो, इसलिए हमलोग आपकी अनुशंसा वाली जो योजना है, उसमें और कौन सी स्कीम ली जा सकती है, जिसमें आपके अन्य चीजों में क्षेत्र के विकास में सहुलियत हो और दूसरी बात है कि अब आगे चापाकल का कोई मतलब नहीं है । अगर चापाकल ही लगाना है तो नल के पानी की क्या जरूरत और जब नल का पानी देना है तो चापाकल तेरा क्या काम । अब नल का पानी पहुँच जायेगा तो उसका कोई काम नहीं है । लेकिन हां एक समस्या थी जो सबलोग प्रकट कर रहे थे तो हमने विभाग को कहा कि टेंडर वगैरह हो गया है तो उसको उतना दूर तक हो जाने दीजिए, उसमें संशोधन करके कर देंगे । लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए शराबबंदी के काम में और सरकार के जो कार्यक्रम चलेंगे इनके क्रियान्वयन में आप सब बैठियेगा जिला कार्यक्रम समिति में । प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में पूरी समीक्षा होगी, आप अपने क्षेत्र का पूरा आकलन करके बताया करियेगा मीटिंग में, चूँकि उस मीटिंग की रिपोर्ट आयेगी हमलोगों के पास भी ताकि हम यहां पर उसकी पूरी समीक्षा कर सकें । इसलिए प्रभारी मंत्री जी जायेंगे, रूकेंगे, आपलोग भी देखियेगा कि कहां क्या काम है, अन्य बात को भी उठाना है । लेकिन इसके सिलसिले में भी आप जब अनुभव के आधार पर जानकारी देंगे तो काम को ससमय ठीक ढंग से पूरा करने में सहुलियत होगी । इसलिए इसमें आप सबों का सहयोग चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देता हूँ कि कल उन्होंने हिस्सा लिया इस डिवेट में और अपनी बात रखी और मैं यही आग्रह करूँगा कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, जो उनको प्रेषित किया जायेगा, उसको आप सदन की मंजूरी प्रदान करने का कष्ट करें । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब तो समय नहीं न है, सरकार का उत्तर हो चुका न, आप किसी दूसरे दिन रखियेगा सत्यदेव जी ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मुझे एक बात कहनी है, सरकार ने बहुत बातें अच्छी रखी है और यह सुनकर के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में चार चाँद लग जाता है लेकिन साथ ही हमारी पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि सरकार ने ही

घोषणा की थी कि भूमि सुधार आयोग दीन वंद्योपाध्याय की रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा गया है ..

अध्यक्ष : आपके दल के सुदामा प्रसाद जी ने बात रखा है । ठीक है, अब आप बैठ जाईए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से संबंधित श्री अशोक कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल से प्राप्त संशोधनों को पढ़ा हुआ माना गया है ।

क्या माननीय नेता, विरोधी दल श्री प्रेम कुमार अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(इस अवसर पर नेता,विरोधी दल अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में माननीय नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ :-

प्रश्न यह है कि :-

'' सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए महामहिम राज्यपाल के कृतज्ञ हैं । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वसम्मत हो गया ।

अध्यक्ष : ललित यादव जी, आज दिनांक 27 फरवरी,2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-12 है ।

अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 01, मार्च,2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।